

WALCHAND COLLEGE OF ENGINEERING

(Affiliated to Shivaji University, Kolhapur)
Vishrambag, Sangli - 416 415, Maharashtra, India
www.walchandsangli.ac.in
(Permanently Granted Institution)

RECRUITMENT OF DIRECTOR

The Administrative Council of Walchand College of Engineering (WCE) is inviting applications from qualified and eligible candidates for the position of Head of Institution / Director. He/ She shall be responsible for development of the institute and shall report to the Chairman of the Administrative Council of WCE.

Sr. No.	Name of Post	Vacant Post	Reservation
1	Director	1	Post- 01 (Open to all)

Walchand College of Engineering was established in 1947. It is an autonomous college since 2007, affiliated to Shivaji University, Kolhapur. It receives grant-in-aid from the State Government. The college has successfully participated in Phase I, Phase II and Phase III of the Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP) with outstanding performance. The Administrative Council of WCE is the governing authority of the institute.

Conditions :

1. Educational qualifications, pay scales and service conditions for Direct recruitment of Director are as prescribed by the AICTE, UGC, Govt. of Maharashtra and Shivaji University, Kolhapur from time to time.
2. Appointment to the post of Director will be for a period of 5 years from the date of appointment or up to the attainment of the age of superannuation of the candidate, whichever is earlier. The Administrative Council may consider higher compensation in case of candidates with exceptional qualification and experience.
3. Please note that the recruitment procedure initiated by this advertisement subject to decision by Hon. Bombay High-court, Aurangabad Bench on Writ Petition No. 12051/2015, High Court Writ Petition No. 4981/2025 and SLP (Diary) No. 14395/2025
4. Applicants who are already in service they should apply through proper channel.
5. Incomplete application will not be entertained.
6. Apply giving full particulars within 15 days from the date of publication of this advertisement. Eligible candidates should send their current resume and contact details of two references on following address.

**Chairman, Administrative Council
Walchand College of Engineering**

**Hindustan Construction Company Limited, Hincon House,
L.B. Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083.**

Also, same can be submitted online at <https://www.walchandsangli.ac.in>

7. All the Terms & Conditions are applicable as mentioned in the GR Dated 12.11.2021 from Higher and Technical Education Department of Government of Maharashtra.

8. For detailed information about post, qualification and other terms and conditions, please visit university website : www.unishivaji.ac.in and www.walchandsangli.ac.in

Place : Sangli

Date : 11/07/2025

**Nominee and Member,
Administrative Council**



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 82]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपायों पर अभातशिप (डिग्री) विनियम, 2019

फा. सं. 61-1/आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016-17.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(छ), (ज) और (झ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार द्वारा सं. 1-37/2016-टीएस II दिनांक 18 जनवरी 2019 और पश्चात्तवर्ती समसंख्यक पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2019 और 12 फरवरी, 2019 द्वारा दिए गए अनुमोदन के पश्चात्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रयोजनीयता और प्रारंभ :

1.1 संक्षिप्त नाम :

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय—(डिग्री) विनियम, 2019 है।

1.2 उन संस्थाओं की श्रेणी जिन पर विनियम लागू होते हैं

ये ऐसी प्रत्येक डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्था और विश्वविद्यालय जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा अभातशिप द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विषय-क्षेत्रों को संचालित कर रहे हैं।

1.3 प्रभावी होने की तारीख :

क) वेतन मान और महंगाई भत्ता (डी.ए.) : संशोधित वेतन-मान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे।

ख) अन्य भत्ते : भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिकर भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, यात्रा भत्ता आदि उस तारीख से लागू होंगे जैसा केंद्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

1.4 सेवा शर्तों के प्रभावी होने की तारीख

- क) अन्य सभी सेवा शर्तें जिनमें योग्यता, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां, प्रकाशन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं आदि शामिल हैं, इस राजपत्र अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी।
- ख) 01.01.2016 से इस राजपत्र अधिसूचना के जारी होने तक योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं विनियम, 2010 दिनांक 05 मार्च 2010 तथा समय-समय पर जारी पश्चात्पूर्ती अधिसूचनाओं द्वारा प्रशासित की जाएंगी।
- ग) जो अभ्यर्थी इस राजपत्र के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् प्रोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें आवश्यक शर्तों की पूर्ति करनी होगी जैसेकि : अतिरिक्त योग्यताएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षाशास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेना, शोध पत्र जारी करना आदि। तथापि, इन अपेक्षाओं की पूर्ति 31 जुलाई, 2022 तक किए जाने की अनुमति होगी ताकि संकाय सदस्य पात्रता की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के लाभ प्राप्त करने के लिए इस राजपत्र की अपेक्षित अनिवार्य अपेक्षाओं से स्वयं को सुसज्जित करने में समर्थ हो सकें।
- घ) पदधारक संकाय सदस्यों के लिए, पात्रता की तिथि 6^{वें} सीपीसी दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2022 तक किए जाने की अनुमति होगी। ऐसे उम्मीदवारों को प्रोन्नति के सभी लाभों को भूतलक्षी प्रभाव से देने की अनुमति दी जाती है, जिस तिथि को वह पात्रता प्राप्त कर लेंगे।
- ड.) इस बात पर ध्यान दिया जाए कि, इसमें दिनांक 31 जुलाई 2022 से आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा तथा जो अभ्यर्थी उपर्युक्त छूट की अवधि के बावजूद अनिवार्य मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, वे भूतलक्षी प्रभाव में प्रोन्नति प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। तथापि, वे इन मानदंडों को पूरा करने की तिथि से प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- च) ऐसे मामलों में, जहां यदि सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नतियों के लिए साक्षात्कार पहले ही संचालित कर लिए गए हैं परंतु उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, वहां ऐसे उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी। उनका आगामी उन्नयन इस अधिसूचना द्वारा प्रशासित होगा।
- छ) ऐसे मामलों में, जहां विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, आवेदन आमंत्रित किए गए थे परंतु साक्षात्कार इस अधिसूचना के प्रकाशन तक संचालित नहीं किए गए, संस्थानों/नियोजकों से अपेक्षित है कि वे शुद्धिपत्र प्रकाशित करें और आवेदनों का प्रक्रमण इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाए।

2.0 सामान्य

2.1 संशोधित पदनाम और नियुक्ति की पद्धति

जहां तक संवर्ग संरचना का संबंध है, डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पदनाम होंगे, अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसाकि नीचे तालिका-1 में दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न लेवलों पर पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी के संबंध में वर्तमान पदनामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अब से, नियुक्ति की निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा।

तालिका 1 : संवर्ग संरचना एवं नियुक्ति की पद्धति

क्रम संख्या	शिक्षण संकाय के पदनाम	प्रवेश वेतन	लेवल	नियुक्ति की पद्धति
1	सहायक प्रोफेसर	57700	10	सीधी भर्ती
2	सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान)	68900	11	प्रोन्नति
3	सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड)	79800	12	प्रोन्नति
4	एसोसिएट प्रोफेसर	131400	13ए1	प्रोन्नति/सीधी भर्ती
5	प्रोफेसर	144200	14	प्रोन्नति/सीधी भर्ती
6	वरिष्ठ प्रोफेसर	182200	15	प्रोन्नति
7	प्राचार्य/निदेशक	144200	14	सीधी भर्ती

2.2 नई वेतन संरचना

नई वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स शामिल होगा जिसमें लेवलों की आरोही श्रृंखलाएं होंगी तथा प्रत्येक लेवल में आरोही सैल होंगे। नया वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को एक साधारण चार्ट में सम्मिलित करेगा जैसा अनुबंध-1 में दिया गया है। वेतन मैट्रिक्स में दो आयाम शामिल होंगे – लेवलों की क्षैतिज परिधि जो पदानुक्रम में निम्नतम लेवल से प्रारंभ होगी तथा उच्चतम लेवल तक ऊपर बढ़ेगी, जिसमें लेवलों को 10 से 15 तक संख्यांकित किया जाएगा और शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक

लेवल के भीतर, व्यक्ति के ऊर्ध्व रूप से नीचे जाने पर वेतन में वृद्धि होगी जिसमें नीचे जाने की प्रत्येक प्रोन्नति को एक 'सैल' द्वारा दर्शाया जाएगा। उस लेवल में प्रत्येक सैल 03 प्रतिशत के वार्षिक वित्तीय उन्नयन के चरणों को दर्शाता है। भर्ती/प्रोन्नति पर कर्मचारी किसी विशेष लेवल पर कार्यभार ग्रहण करेगा तथा ऊर्ध्व परिधि के अनुसार लेवल के भीतर प्रगति करेगा। यह संचलन उसकी आगामी प्रोन्नति होने के समय तक वार्षिक वेतन-वृद्धियों पर आधारित होगा। जब कर्मचारी प्रोन्नति प्राप्त करेगा, वह क्षैतिज परिधि के समाप्त होने पर आगामी लेवल में प्रवेश करेगा।

2.3 लेवल और सैल

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति को शैक्षणिक वेतन संरचना के लिए भी अपनाया जाएगा, जिसमें वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन की अवधारणा के स्थान पर लेवल और सैल शामिल होंगे। ये परिवर्तन केवल तदनुसूची ग्रेड वेतन की तुलना में शैक्षणिक ग्रेड वेतन के संदर्भ में दो क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतरों के कारण उत्पन्न होंगे। शैक्षणिक वेतन के लिए लेवल को भी समनुसूची गैर-शैक्षणिक लेवल के अनुसार संख्यांकित किया जाएगा। अतः, लेवलों को वर्तमान रु० 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 और 12000 के एजीपी के अनुरूप क्रमशः 10,11,12,13,14 और 15 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

2.4 वेतन मैट्रिक्स और संशोधित वेतन का नियतन

वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, किसी कर्मचारी के वेतन के नियतन के लिए, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को पूर्व-संशोधित संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन और शैक्षणिक ग्रेड वेतन) को **2.57 के घटक** से गुणा किया जाएगा, निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो वह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जाएगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जाएगा।

यदि दो से अधिक अवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित की गई प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए 03 प्रतिशत के समान एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा वेतन को वेतन मैट्रिक्स में समरूपी सैल में नियत किया जाएगा।

2.5 एजीपी और आईओआर के साथ वेतन बैंड (युक्तिकरण का सूचकांक)

उपर्युक्त के आधार पर, शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) के साथ वेतन के विभिन्न लेवल **अनुबंध-I** के अनुसार हैं।

2.6 प्रवेश वेतन

शैक्षणिक वेतन संरचनाओं तथा लेवलों के लिए प्रवेश वेतन **तालिका-1** के अनुसार हैं।

2.7 सीधी भर्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन

01 जनवरी, 2016 को और उसके उपरांत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन उस लेवल में न्यूनतम वेतन अथवा प्रथम सैल पर नियत किया जाएगा, जो उस पद के लिए लागू है जिस पर ऐसा कर्मचारी नियुक्त हुआ है। प्रोन्नति के मामले में, उम्मीदवार को उस लेवल में आगामी उच्च सैल में ले जाते हुए उसके विद्यमान वेतन लेवल में एक परिकल्पित वेतन-वृद्धि प्रदान की जाएगी। इस सैल में दर्शाए गए वेतन को उस पद, जिस पर उम्मीदवार को प्रोन्नत किया गया है, के समनुरूप नए स्तर में देखा जाएगा। यदि नए लेवल में उस वेतन के समान सैल उपलब्ध है, तो वह सैल नया वेतन होगा; अन्यथा उस लेवल पर आगामी उच्च सैल कर्मचारी का नया वेतन होगा। यदि इस तरीके से निकाला गया वेतन नए लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो उस लेवल के प्रथम सैल पर वेतन नियत किया जाएगा।

2.8 वेतन-वृद्धि की तारीख

- (i) वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सैल समान लेवल में पूर्व सैल की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक होता है और उसे निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक वेतन-वृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और कर्मचारी शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सैल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सैल में चला जाएगा।
- (ii) प्रत्येक वर्ष वेतन-वृद्धि की दो तारीखें होंगी, अर्थात् 01 जनवरी और 01 जुलाई परंतु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा।
- (iii) 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

2.9 प्रोन्नति की वार्षिक प्रक्रिया

प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/डीटीई यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया वार्षिक रूप से क्रियान्वित की जाए ताकि अभातिप मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित संकाय संख्या और संवर्ग अनुपात अनुरक्षित किया जाए जिससे विद्यार्थियों को कोई क्षति कारित न हो। संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार एक नियमित अवधि पर वार्षिक रूप से संचालित किए जाएं ताकि संकाय सदस्यों के कैरियर विकास में किसी गतिरोध से बचा जा सके।

जो उम्मीदवार विनियमों में प्रस्तावित न्यूनतम अपेक्षा की पूर्ति नहीं करते हैं, उनका एक वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। प्रोन्नति की तारीख, वह तारीख होगी, जिसको वह समस्त न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तथा उसका सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

इन नियुक्तियों/सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर अथवा प्रोफेसर से वरिष्ठ प्रोफेसर में प्रोन्नतियों के लिए यथालागू चयन समिति का संगठन अनुबंध-II में उल्लिखित है। प्रोन्नतियों/सीधी भर्ती के विभिन्न चरण और चयन की रीति तालिका-2 में दी गई है।

जो शिक्षक प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए इच्छुक हैं, वे संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा तैयार किए गए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में लिखित में अपनी उस देय तारीख, जिसको वह सभी अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति कर लेता है, से तीन माह के भीतर महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक को समस्त प्रत्यय-पत्रों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

प्रोन्नतियों के लिए प्रवेश स्तर तथा पश्चात्पूर्ति अवस्थाएं तालिका-2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2 : प्रोन्नति/सीधी भर्ती और चयन की रीति की अवस्थाएं

अवस्था	पदनाम
प्रवेश स्तर, अवस्था-I	सहायक प्रोफेसर
अवस्था-II	सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान)
अवस्था-III	सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड)
अवस्था-IV	एसोसिएट प्रोफेसर
अवस्था-V	प्रोफेसर
अवस्था-VI	वरिष्ठ प्रोफेसर

2.10 शोध संवर्धन अनुदान

गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रदान किए जाने वाले बल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में शोध और विकास का संवर्धन करना है, अतः समस्त अभातशिप मान्यता प्राप्त संस्थाएं एक पृथक बजट सृजित करेंगी और शोध क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके संकाय सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी।

2.11 7वें सीपीसी स्केल के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता

केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/राज्य सरकार की स्वायत्त संस्थाओं/राज्य विश्वविद्यालय विभागों में संकाय तथा अन्य कर्मचारिवृंद जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण नियोजन कार्मिकों के लिए संशोधित वेतन मानों के क्रियान्वयन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (01.01.2016 से 31.03.2019 तक बकाया राशि) की 50% राशि प्रदान करेगी।

- (क) योजना के अंतर्गत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारिवृंद जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण नियोजन कार्मिकों के संशोधित वेतनमानों का विकल्प चुनने वाली राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सरकार की और से वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित अन्य तकनीकी संस्थाओं के लिए संशोधन के क्रियान्वयन में अंतर्निहित अतिरिक्त व्यय के 50% (पचास प्रतिशत) की सीमा तक सीमित होगी। इसके लिए, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें केन्द्र सरकार को दावा प्रस्तुत करेंगी। ऐसे सभी दावों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र दिनांक 31.03.2020 को या इससे पहले केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगी। दिनांक 31.03.2020 के पश्चात् राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी दावे को वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (ख) ऊपर उप-खंड में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता केवल दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- (ग) 01.04.2019 से वेतन मानों आदि के संशोधन के फलस्वरूप संपूर्ण दायित्व वेतन मानों के संशोधन का विकल्प चुनने वाली राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा।
- (घ) केन्द्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता वेतन मानों के संशोधन तक सीमित होगी न कि किसी अन्य भत्ते के लिए और और केवल उन्हीं पदों के संबंध में होगी जो 01.01.2016 को विद्यमान थे और नियमित आधार पर भरे गए थे।
- (ङ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें, अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेकानुसार इस योजना में उल्लिखित वेतन से उच्च वेतन प्रारंभ करने पर भी निर्णय ले सकेंगी और संशोधित वेतन मानों को 01.01.2016 से प्रवृत्त करेंगी, तथापि ऐसे मामलों में, प्रस्तावित आशोधनों के विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे तथा केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित वेतन तक ही सीमित रहेगी, राज्य सरकार(रों) द्वारा नियत किए गए किसी उच्च वेतन के लिए नहीं होगी।
- (च) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता का संदाय (पैमैन्ट) इस शर्त के अधीन भी है कि विनियमों और अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों के साथ वेतन मानों के संशोधन की संपूर्ण योजना का

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार(सों) तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली तकनीकी संस्थाओं द्वारा एक संयोजित योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा।

- (छ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से इस आशय का वचन लिया जाएगा कि वेतन के गलत नियतन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किए गए किसी अधिक भुगतान की राशि का समायोजन लाभार्थी को देय किसी भावी भुगतान से किया जाएगा अथवा अन्यथा उसी रीति से किया जाएगा जो वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का. ज्ञा. सं० एफ. 1-1/2 सीक्यू 8-आईसी दिनांक 30.08.2008 के साथ पठित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के का.ज्ञा.सं० एफ. 23-7/2008-आईएफडी दिनांक 23.01.2008 में उपबंधित की गई है।
- (ज) इस योजना के अंतर्गत वेतन की बकाया राशि (एरियर) और लागू भत्तों के साथ संशोधित वेतन, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, का भुगतान सभी पात्र लाभार्थियों को लागू होने की तारीख से किया जाएगा।

2.12 अधिवर्षिता की आयु

समस्त संकाय सदस्यों तथा संस्थाओं के प्राचार्यों/निदेशकों की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी। उन संकाय सदस्यों को 5 वर्ष (70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक) का विस्तार दिया जा सकेगा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिन्होंने तकनीकी पुस्तकें लिखी हैं, पत्र प्रकाशित किए हैं तथा 10 में से 8 से अधिक का औसत 360 डिग्री फीडबैक प्राप्त किया है जो उन्हें सेवा के अंतिम 3 पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सक्रिय दर्शाता है।

2.13 स्वास्थ्य बीमा योजना

जहां कहीं सरकार द्वारा स्वयं अथवा परिवार को पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान नहीं की गई है, वैयक्तिक संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए अंशदायी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित करेंगी जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा उन्हें संबंधित संस्थाओं के प्रति आकर्षित करने और उसके साथ लंबे संबंधों के लिए वहां बनाए रखने में सहायता मिल सके। समूह स्वास्थ्य बीमा विकल्प सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

2.14 पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, जीपीएफ, छुट्टी संनकदीकरण और अन्य पेंशन लाभ

छुट्टी संनकदीकरण सहित सभी पेंशन संबंधी लाभ संकाय सदस्यों तथा अन्य कर्मचारिवृंद जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित तथा भारत सरकार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा क्रियान्वित मानदण्डों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.15 औद्योगिक प्रशिक्षण

क्योंकि संकाय सदस्यों के ऊर्ध्वावर संचलन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण अनुबंधित किया गया है, अभातिपि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/डीटीई, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फिक्की (एफआईसीसीआई), नैसकॉम (एनएएसएससीओएम) एवं अन्य इसी प्रकार के औद्योगिक निकायों से परामर्श के साथ सभी संकाय सदस्यों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करेंगी।

2.16 शिक्षण कार्य

अभातिपि के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तकनीकी संस्थाओं में कार्य करने वाले संकाय सदस्य शिक्षण संपर्क घंटों और अन्य क्रियाकलापों सहित प्रति सप्ताह 40 घंटों से अन्यून कार्य करेंगे। ट्यूटोरियल/परियोजना/ शोध/प्रशासन के कार्य को संकाय सदस्यों के मध्य आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार वितरित किया जा सकेगा। प्रयोगशाला कार्य को भी शिक्षण घंटों में गिना जाएगा। विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम शिक्षण संपर्क घंटों नीचे **तालिका 3** में दिए गए हैं।

तालिका 3 : डिग्री स्तर के संस्थानों में संकाय सदस्यों का शिक्षण कार्य

पदनाम	(शिक्षण/प्रयोगशाला घंटों)/सप्ताह
सहायक प्रोफेसर	16
ऐसोसिएट प्रोफेसर	14
प्रोफेसर/वरिष्ठ प्रोफेसर	14
निदेशक/प्राचार्य	6

विभागाध्यक्ष/डीन जैसे अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले संकाय सदस्यों को शिक्षण संपर्क घंटों में प्रति सप्ताह 2 घंटे की छूट दी जाएगी।

2.17 नए प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन

डिग्री स्तरीय संस्थाओं में नए प्रवेशकर्ताओं तथा विद्यमान संकाय सदस्यों को उनके कार्यालय में इंटरनेट संयोजनता के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर/लेपटॉप/कार्यालय फर्नीचर और एक प्रिंटर प्रदान किया जाएगा ताकि वे कंप्यूटर संचालन में दक्ष बन सकें तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुँच बनाई जा सके।

2.18 वृत्तिक विकास के लिए अनुदान

सभी शिक्षकों को वृत्तिक सोसाइटियों की सदस्यता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में प्रतिभागिता करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर प्रतिवर्ष 75,000/- रु. तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा जिसे 03 वर्ष तक संचालित करने की अनुमति होगी।

2.19 परामर्श

- i) संस्थाओं के लिए अथवा स्वयं के लिए संसाधन सृजित करने के प्रयोजनार्थ संकाय के सदस्यों द्वारा परामर्श कार्य संचालित किया जा सकेगा।
- ii) संकाय सदस्यों को परामर्श कार्य संचालित करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ न केवल संकाय सदस्यों को परामर्श कार्य संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बल्कि राज्य सरकारों/संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा ऐसे कार्य करने हेतु उपयुक्त अनुकूल परिवेश का सृजन भी किया जाना चाहिए।
- iii) उन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा जहाँ संकाय सदस्यों द्वारा परामर्श कार्य संचालित किया जाता है, सृजित किए गए संसाधनों की संस्थाओं और वैयक्तिक संकाय सदस्य के बीच साँझेदारी करने के लिए उपयुक्त मापदण्ड विकसित किए जाने चाहिए और उन्हें अपनाया जाना चाहिए।
- iv) परामर्शी/उद्योग संपर्क/शोध/स्टार्ट-अप क्रियाकलापों/सामुदायिक सेवाओं में लगे संकाय सदस्यों को उनके शिक्षण संपर्क घंटों के साथ समझौता किए बगैर शिक्षण समय सारणी (टाइम-टेबल) में कतिपय समायोजन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

2.20 संकाय के लिए अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश

तकनीकी संस्था और उद्योग के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संकाय सदस्यों को उद्योग/वृत्तिक विकास में कार्य करने के प्रयोजनार्थ छह माह का अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि संकाय के पास न्यूनतम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। तथापि, ऐसा अवकाश किसी शिक्षक को उसके शिक्षण कैरियर में केवल दो बार ही उपलब्ध होगा।

2.21 स्टार्ट-अप

वर्तमान में, संस्थाओं को विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और उनके नियोजन के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। भविष्य में, यह संस्थान द्वारा सृजित किए गए स्टार्ट-अपों और उद्यमियों की संख्या पर भी आधारित होगा। अतः, प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों/उद्योगपतियों/एल्यूमनई और विद्यार्थियों के बीच निरंतर संपर्कों की व्यवस्था की जाएगी।

2.22 पीएच.डी. तथा अन्य उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन

- i. सहायक प्रोफेसर के रूप में किसी नई भर्ती के प्रवेश स्तर पर पाँच गैर-संयोजित वेतन-वृद्धियां यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेशपरीक्षा, पाठ्यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पी.एच. डी की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति अथवा पी.एच.डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों राष्ट्रीय डॉक्टोरल फेलोशिप कार्यक्रम/प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पी.एच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।
- ii. प्रासंगिक सांविधिक निकाय/परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त एम.टेक/एम.आर्क./एम.प्लान/एम.ई./एम.फार्मा./एम.डिजाइन/एम.एस. आदि में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले प्रवेश स्तर पर दो गैर-संयोजित अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।
- iii. ऐसे अध्यापक जो सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवा में रहते हुए अपनी पी.एच. डी. डिग्री पूरी करते हैं, सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रवेश स्तर पर लागू नियत वेतन वृद्धि में तीन गैर-संयोजित वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यह वेतन वृद्धि तभी अनुमेय होगी, जब यह पी.एच.डी. रोजगार के प्रासंगिक विषयक्षेत्र में यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेशपरीक्षा, पाठ्यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश-प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पी.एच. डी की डिग्री धारण की होगी अथवा पी.एच. डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों अथवा अभातशिप में गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूआईपी)/शिक्षक शोध अध्येतावृत्ति (टीआरएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत पी.एच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।

2.23 सांविधिक आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग जनों/महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए सांविधिक आरक्षण नीति का केन्द्र/संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नियमों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए।

2.24 गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूआईपी)/शिक्षण शोध फेलोशिप (टीआरएफ) योजनाएं :

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों के डीटीई और उच्च शिक्षा सचिवों को तकनीकी संस्थाओं में कार्य कर रहे सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्यूआईपी/टीआरएफ योजना क्रियान्वित करने का निदेश दिया जाता है। स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के प्रबंधनों

को भी निदेश दिया जाता है कि वे क्यूआईपी/टीआरएफ/क्यूआईपी (विदेशी विश्वविद्यालय) योजना में भाग लेने के लिए अपने संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करें।

2.25 सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवा की गणना

किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक/वृत्तिक संगठन जैसे सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर, डीबीटी अथवा राज्यों के पीएसयू आदि में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अथवा प्रोफेसर अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, की गणना, सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए की जाएगी, बशर्ते कि :

- क) धारित पद की अर्हताएं सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, जैसा भी मामला हो, अभातिप द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताओं से न्यून न हों।
- ख) पद सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर और प्रोफेसर के पद की ही भांति समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व-संशोधित वेतन मान में है/था।
- ग) सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार ने उचित माध्यम से आवेदन किया हो।
- घ) संबंधित सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर यथास्थिति, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद में नियुक्ति के लिए अभातिप द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समान न्यूनतम योग्यताएं धारित करता हो।
- ड.) पद को ऐसी नियुक्तियों के लिए विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संबंधित संस्था के विनियमों में यथानिर्धारित विदित चयन प्रक्रिया के अनुरूप भरा गया हो।
- च) पूर्व नियुक्ति किसी अवधि के लिए अथवा तदर्थ अथवा एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्रिट पर अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं हो। एक वर्ष से अधिक की तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकेगी बशर्ते कि :
 1. सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक थी ;
 2. पदधारक की नियुक्ति सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी ;
 3. पदधारक का स्थायी पद पर चयन तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था ;
 4. सेवा में कृत्रिम व्यवधान का प्रयोग स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी के प्रति पूर्वापेक्षा रखने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा का लाभ सेवा में कृत्रिम व्यवधान/व्यवधानों के होते हुए भी मूल नियुक्ति की तारीख (अस्थायी/संविदा/तदर्थ) से दिया जाएगा।
 5. पदधारक किसी नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, की प्रारंभिक अवस्था पर मासिक सकल वेतन से अन्यून कुल सकल परिलब्धियां आहरित कर रहा था ; तथा
 6. चयन के समय, निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तें अनुभव की अवधि, अनुभव की प्रकृति का स्पष्टतः उल्लेख करती हों तथा नियोजक द्वारा उनकी सहमति दी गई हो।
- छ) संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में वहां कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए, जहां की गई पूर्व सेवा निजी (निजी (प्राइवेट)/स्थानीय निकाय/सरकार) पर इस खंड के अंतर्गत पूर्व सेवाओं की गणना के लिए विचार किया गया था।

2.26. डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं और डिग्री स्तरीय संस्थाओं के अनुभव की समकक्षता

डिप्लोमा स्तरीय पॉलीटेक्नीकों में अनुभव को डिग्री स्तरीय संस्थाओं में उपयुक्त स्तर पर यथालागू अनुभव के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार वेतनमान, अर्हताएं, अनुभव और शोध योगदान विचाराधीन पद के समान हों।

3.0 संवर्ग संरचना

3.1 न्यूनतम संवर्ग अनुपात :

- (i) प्रोफेसर : एसोसिएट प्रोफेसर : सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम क्रमशः 1 : 2 : 6 संस्वीकृत संवर्ग अनुपात अनुरक्षित किया जाएगा।
- (ii) किसी अनुमोदित संस्थान के लिए संकाय अपेक्षाओं की न्यूनतम संख्या अभातिप द्वारा विनिर्दिष्ट संकाय : छात्र अनुपात के आधार पर आंकलित की जाएगी।
- (iii) संकाय : छात्र अनुपात अभातिप द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार लागू होगा।
- (iv) इस संवर्ग अनुपात के प्रयोजनार्थ, सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान), सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) को एक साथ समूहित किया जाएगा और सहायक प्रोफेसर कहा जाएगा।
- (v) इसी प्रकार, प्रोफेसर और वरिष्ठ प्रोफेसर को एक साथ समूहित किया जाएगा तथा प्रोफेसर कहा जाएगा।

(vi) प्राचार्य/निदेशक संवर्ग अनुपात के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे।

3.2 लचीली संवर्ग संरचना

पदधारक को प्रोन्नत करते हुए लचीली संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी :

- i) पदधारक संकाय सदस्यों को पात्र बन जाने पर उस संवर्ग में रिक्ति की उपलब्धता न होते हुए भी, वार्षिक रूप से आयोजित चयन प्रक्रिया के माध्यम से उच्च पदों में उन्नयित किया जाएगा।
- ii) उच्च पद में इस प्रकार उन्नयित किए गए पदधारक को, यथास्थिति, सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान)/सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड)/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।
- iii) इस संवर्ग संरचना के साथ, किसी निश्चित समय पर अधिक संकाय सदस्य प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे जिसके फलस्वरूप, उदाहरण के तौर पर, संवर्ग विषम बन जाएगा जैसे 9 : 0 : 0 अथवा 8 : 1 : 0 अथवा 5 : 1 : 3 आदि परंतु किसी भी स्थिति में यह 0 : 0 : 9 अथवा 0 : 1 : 8 अथवा 0 : 2 : 7 नहीं होना चाहिए।
- iv) हालांकि जब इन प्रोन्नतियों के साथ संवर्ग अनुपात में परिवर्तन हो रहा होगा, न्यूनतम संकाय पदों की कुल संख्या वही बनी रहेगी, जैसाकि संकाय-छात्र अनुपात द्वारा परिकलित की गई थी।
- v) निम्न पद को तभी रिक्त माना जाएगा जब पदधारक प्रोन्नति के माध्यम से अथवा सीधे चयन के माध्यम से उच्च पद में चला जाता है जिसमें सभी संवर्गों के कुल संस्वीकृत पदों को एक साथ रखते हुए नियत माना जाएगा।
- vi) यह रिक्त पद अपेक्षित अर्हताएं धारण करने वाले उपयुक्त पात्र पदधारक द्वारा भरा जाएगा।
- vii) यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद खुली चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा।
- viii) खुला चयन इस राजपत्र में प्रकाशित मानदण्डों के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
- ix) उम्मीदवार को निम्न संवर्ग से उच्च संवर्ग में तब प्रोन्नत किया जाएगा जब वे उस संवर्ग में पद की उपलब्धता न होने के बावजूद, उच्च संवर्ग के लिए पात्रता मानदण्डों की पूर्ति कर लेते हैं।

3.3 सीधी भर्ती और प्रोन्नत हुए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता

सीधी भर्ती हुए शिक्षक की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के संदर्भ में तथा प्रोन्नत हुए शिक्षक के लिए पात्रता की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा जैसाकि संबंधित उम्मीदवारों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया हो। वरिष्ठता के सभी अन्य मामलों के लिए केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे। पूर्व में सीधे चयन हुए तथा सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नत हुए शिक्षकों के बीच वरिष्ठता के समान महों, यदि कोई हैं, का नियतन समान आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई वरिष्ठता सूची को संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

3.4 प्राचार्य/निदेशक के पद :

1. अभातशिप अनुमोदित संस्था के प्राचार्य/निदेशक पूर्णकालिक संकाय होने चाहिए जिनका चयन संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/लोक सेवा आयोग/संबंधित शासी मंडल/प्रबंधन मंडल द्वारा अपनाई जाने वाले चयन की सम्यक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया हो, जिसमें अभातशिप द्वारा यथा निर्धारित अर्हताओं तथा अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया हो।
2. ऐसी संस्था में, जहां तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अभातशिप द्वारा अनुमोदित अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, प्राचार्य/निदेशक इनमें से किसी एक कार्यक्रम से होगा, अधिमानतः उस कार्यक्रम से जिसमें छात्रों की संख्या अधिकतम है।

4.0 अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण :

1. इस राजपत्र के प्रकाशन के बाद से किसी भी पद पर नियुक्त/प्रोन्नत प्रत्येक शिक्षक को अभातशिप शिक्षण प्रशिक्षण नीति के अनुसार अधिमानतः सेवा के प्रथम वर्ष के भीतर 'स्वयं' में एमओओसीएस के 8 ऑनलाइन मॉड्यूलों को अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।
2. कोई भी नया नियुक्त हुआ संकाय सदस्य इन 8 मॉड्यूलों को पूर्ण करने का प्रमाणन प्राप्त किए बिना परिवीक्षा पूर्ण नहीं करेगा। शिक्षक प्रशिक्षण नीति दस्तावेज अभातशिप वेबसाइट से डॉउनलोड किए जा सकते हैं।
3. इन मॉड्यूलों को पूर्ण करने की अपेक्षा, जैसी इस राजपत्र में परिकल्पित की गई है, सभी पदधारक शिक्षकों पर भी कैरियर में केवल एक बार, आगामी उच्च संवर्ग में प्रोन्नति/चयन के लिए आवेदन करते समय लागू होगी।
4. जो व्यक्ति इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि के पश्चात् प्रोन्नति के लिए पात्र बनते हैं, उन्हें अनिवार्य शर्तों जैसे कि अतिरिक्त अर्हता, औद्योगिक प्रशिक्षण से गुजरना, अध्यापन-विषयक प्रशिक्षण, संकाय प्रेरण कार्यक्रम, शोध पत्र प्रकाशित करना आदि को पुरा करना होगा। तथापि, संकाय सदस्यों को 31 जुलाई, 2022 तक इन अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उन्हें पात्रता की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु इस राजपत्र की अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

5.0 भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता

संकाय सदस्यों की सीधी भर्ती और प्रोन्नतियों के विभिन्न लेवलों के लिए न्यूनतम अर्हता, अनुभव, शोध योगदान, प्रतिपुष्टि और अपेक्षित प्रशिक्षण अपेक्षाएं इस प्रकार हैं :

5.1 सहायक प्रोफेसर (लेवल-10, प्रवेश वेतन 57700/-) के रूप में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं**(क) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी :**

प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./बी.एस. और एम.ई./एम.टेक./एम.एस. अथवा एकीकृत एम.टेक जिसमें से किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

(ख) प्रबंधन :

किसी विषय क्षेत्र में स्नातक डिग्री तथा व्यवसाय प्रशासन/पीजीडीएम/सी.ए./आईसीडब्ल्यू/एम.कॉम में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष निष्णात डिग्री तथा निष्णात डिग्री प्राप्त करने के उपरांत दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

(ग) भेषजी :

प्रासंगिक विशेषज्ञता में बी.फार्मा. और एम.फार्मा जिसमें दोनों डिग्रियों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

(घ) एमसीए :

प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टैक./बी.एस. और एम.ई./एम.टैक./एम.एस. अथवा एकीकृत एम.टैक जिसमें से किसी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

अथवा

बी.ई, बी.टैक. और एमसीए जिसमें से दोनों डिग्रियों में किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

अथवा

एक अनिवार्य विषय के रूप में गणित के साथ तीन वर्ष की अवधि का स्नातक और प्रथम श्रेणी की एमसीए डिग्री अथवा समकक्ष हो और एमसीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।

(ङ) होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी :

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री और एचएमसीटी अथवा प्रासंगिक विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री जिसमें से दोनों डिग्रियों में किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।

अथवा

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में तथा किसी 4-सितारा होटल में सहायक प्रबंधक से अन्यून प्रबंधकीय स्तर अथवा आतिथ्य सत्कार उद्योग/पर्यटन उद्योग में किसी समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।

(च) वास्तुकला :

बी.आर्क. और एम. आर्क अथवा किसी संबद्ध क्षेत्र में समकक्ष निष्णात डिग्री जिसमें दोनों डिग्रियों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो, तथा वास्तुकला व्यवसाय में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव।

अथवा

बी.आर्क प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ तथा वास्तुकला व्यवसाय में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

(छ) नगर आयोजना :

वास्तुकला/आयोजना/सिविल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री अथवा भूगोल/अर्थशास्त्र/सामाजिक विज्ञान में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष

और

आयोजना में निष्णात अथवा समकक्ष जिसमें से या तो आयोजना निष्णात में अथवा उपरोक्त डिग्री में से दोनों डिग्रियों में किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो तथा दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव हो।

(ज) डिजाइन :

स्नातक डिग्री अथवा डिजाइन, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला और वास्तुकला की शाखाओं में से किसी एक में न्यूनतम 4 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ इंजीनियरी में स्नातक डिग्री

और

प्रासंगिक विषय क्षेत्रों में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिसमें औद्योगिक डिजाइन/दृश्य संचार/ललित कला/अनुप्रयुक्त कला/वास्तुकला/संपर्क डिजाइन/नवीन मीडिया अध्ययन/डिजाइन प्रबंधन/एगोनमिक्स/मानव कारक इंजीनियरी/भारतीय शिल्प अध्ययन और इंजीनियरी अथवा डिजाइन के संबंधित/प्रासंगिक/संबद्ध क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो

और

उद्योग/अनुसंधान संगठन/डिजाइन स्टूडियो में न्यूनतम 2 वर्ष का व्यावसायिक डिजाइन अनुभव

(झ) ललित कला :

प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री जिसमें दोनों डिग्रियों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष तथा न्यूनतम 2 वर्ष का प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव

(ज) विज्ञान एवं मानविकी के संकाय के लिए अर्हताएं

आधारभूत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषय क्षेत्रों में संकाय के लिए भर्ती और प्रोन्नति हेतु अर्हताएं यूजीसी अधिसूचना सं० एफ. 1-2/2017(ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 तथा समय-समय यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

टिप्पणी : जिन उम्मीदवारों ने गेट/जीपेट/सीड के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से स्नातक की डिग्री के बाद पीएच.डी. की है, वह सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे।

5.2 अवस्था-II से अवस्था-VI के लिए सीधी भर्ती/प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता मानदण्ड**(क) सहायक प्रोफेसर के लिए अर्हताएं (वरिष्ठ मान, लेवल-11, प्रवेश वेतन-68900/-)**

पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

क. सहायक प्रोफेसर के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

ख. अनुबंध-III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण की हों

और

ग. अपेक्षाओं के नीचे उल्लिखित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो

सेट संख्या	अतिरिक्त अर्हता	सहायक प्रोफेसर के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए		
		अनुभव (वर्ष)	एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	—	4	2	8 से 10
2	—	5	1	8 से 10
3	—	5	2	5 से < 8

(ख) सहायक प्रोफेसर के लिए अर्हताएं (चयन ग्रेड, लेवल-12, प्रवेश वेतन-79800/-)

पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

क. सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

ख. अनुबंध-III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण की हों

और

ग. अपेक्षाओं के नीचे उल्लिखित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो

सेट संख्या	सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए			
	अतिरिक्त अर्हता	अनुभव (वर्ष)	एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	-	4	1	8 से 10
2	-	4	2	5 से < 8

(ग) एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अर्हताएं (लेवल-13ए1, प्रवेश वेतन-131400/-)

i. सीधी भर्ती के लिए

क. प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष

और

ख. एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम कुल 6 शोध प्रकाशन

और

ग. शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 2 वर्ष का पोस्ट पीएच.डी. अनुभव होगा।

टिप्पणी : एचएमसीटी के मामले में, विभागाध्यक्ष के पद से अनिम्न प्रबंधकीय स्तर पर 8 वर्ष का उद्योग का अनुभव जिसमें किसी 4 सितारा होटल अथवा उपर की श्रेणी में अथवा आतिथ्य-सत्कार उद्योग/पर्यटन उद्योग में किसी समान पद पर 20 व्यक्तियों अथवा अधिक के दल का संचालन किया हो।

ii पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

क. प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष

और

ख. अनुबंध-III अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण की हों

और

ग. अपेक्षाओं के लिए निम्न वर्णित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो

सेट संख्या	सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए		
	अनुभव (वर्षों में)	एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	3	2	5 से < 8
2	3	1	8 से 10

(घ) प्रोफेसर के लिए अर्हताएं (लेवल-14, प्रवेश वेतन-144200/-)

(i) सीधी भर्ती

क. प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष

और

ख. शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर होना चाहिए।

और

ग. एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर न्यूनतम 6 शोध प्रकाशन तथा प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम 2 सफल पीएच.डी. मार्गदर्शन

अथवा

प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक एसीसीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर न्यूनतम 10 शोध प्रकाशन

(ii) पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

क. प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष

और

ख. अपेक्षाओं के लिए निम्न वर्णित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो।

सेट संख्या	पीएच.डी. मार्ग-दर्शन	कुल अनुभव (वर्षों में)	एसोसिएट प्रोफेसर के संवर्ग में अर्जित किया जाना है		
			अनुभव (वर्षों में)	एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	1	15	3	6	8 से 10
2	2	15	3	6	5 से < 8
3	-	16	3	4	8 से 10

टिप्पणियां : 360° प्रतिपुष्टि

1. प्रोन्नति की अपेक्षाओं के लिए, अगली अवस्था की पात्रता की तिथि तक, प्रति वर्ष प्राप्त प्रतिपुष्टि से सभी पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को जोड़कर उसके औसत को लिया जाएगा।
2. ऐसे मामले में जहाँ उम्मीदवार विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिपुष्टि अंक (स्कोर) प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को विचार के लिए लिया जाएगा जबकि उनमें से किसी उस एक वर्ष को छोड़ दिया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रतिपुष्टि स्कोर प्राप्त हुआ होगा।

(ड.) वरिष्ठ प्रोफेसर के प्रोन्नति के लिए अर्हताएं (लेवल-15, प्रवेश वेतन-182200/-)

क. प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री

और

ख. प्रोफेसर के संवर्ग में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव

और

ग. एसीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित अनुमोदित जर्नलों की सूची में से जर्नलों में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन, प्रोफेसर के रूप में पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के बतौर न्यूनतम 2 सफल पीएच.डी. मार्ग दर्शन होने चाहिए

अथवा

ग. एसीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित अनुमोदित जर्नलों की सूची में से जर्नलों में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन, प्रोफेसर के स्तर पर संस्था प्रमुख के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया होना चाहिए।

अथवा

ग. एसीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित अनुमोदित जर्नलों की सूची में से जर्नलों में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन, प्रोफेसर के स्तर पर राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम 03 वर्ष का शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान किया होना चाहिए।

और

घ. कम-से-कम एक पेटेंट प्रदान किया गया हो

अथवा

घ. राष्ट्रीय मंच पर लागू एक एमओओसी (मूक्स) पाठ्यक्रम का विकास

टिप्पणियां :

1. वरिष्ठ प्रोफेसर का चयन वरिष्ठ प्रोफेसर अथवा न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर के पद से अनिम्न तीन प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों से शैक्षणिक उपलब्धियों, शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक कार्य के अनुकूल समीक्षा पर भी आधारित होगा।
2. चयन दस श्रेष्ठ प्रकाशनों तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान उसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत कम-से-कम दो उम्मीदवारों को पीएच.डी. डिग्री प्रदान किए जाने तथा विनियम के अनुसार गठित समिति के साथ सम्प्रेषण पर आधारित होगा।

(च) प्राचार्य/निदेशक की सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं**(लेवल-14, प्रवेश वेतन-144200/- तथा 6750/- रु० प्रति माह का विशेष भत्ता)**

- क. पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष
- ख. पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम दो सफल पीएच.डी. मार्गदर्शन तथा एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन
- ग. शिक्षण/शोध/उद्योग का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के पद के समकक्ष पद पर होगा।

टिप्पणियां :

1. यह पद 5 वर्ष के लिए संविदात्मक प्रकृति का होगा तथा कार्य-निष्पादन के आधार पर इसे एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई समिति के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
3. अंतिम अवधि की समाप्ति के उपरांत, पदधारक अपने उस पूर्व पदनाम में अपने मूल संगठन में वापस पदभार ग्रहण कर लेगा जहां से वह प्रोफेसर/वरिष्ठ प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, के रूप में पदनाम के साथ आगे गया था।

6.0 अन्य कर्मचारीवृंद की सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं:**6.1 कार्यशाला अधीक्षक :**

कार्यशाला अधीक्षक की प्रारंभिक भर्ती सहायक प्रोफेसर के समान होगी तथा अर्हताएं यांत्रिकी/उत्पादन इंजीनियरी में सहायक प्रोफेसर के समान होगी।

अवरोही संचलन और पदनाम तालिका 3 में इंगित अधिसूचना के चरण I से V के अनुसार होंगे

तालिका 3 : कार्यशाला अधीक्षक के लिए पदोन्नति और पदनाम के चरण

चरण	पदनाम
प्रवेश स्तर अवस्था-I	कार्यशाला अधीक्षक
अवस्था-II	कार्यशाला अधीक्षक (वरिष्ठ मान)
अवस्था-III	कार्यशाला अधीक्षक (चयन ग्रेड)
अवस्था-IV	एसोसिएट प्रोफेसर (कार्यशाला)
अवस्था-V	प्रोफेसर (कार्यशाला)

6.2 प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी के लिए अर्हताएं

- क. प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी की अर्हताएं, सेवा शर्तें तथा वेतनमान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी अथवा संबंधित तकनीकी कार्यक्रम में प्रोफेसर के समान होंगे।
- ख. संस्थान के किसी एक प्रोफेसर को चक्रानुक्रम के आधार पर प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।
- ग. यदि प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है, तो एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की इस पद के लिए पहचान की जा सकेगी।

6.3 सहायक पुस्तकाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं**(लेवल-10, प्रवेश वेतन 57700/-)**

- क) न्यूनतम प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष व्यावसायिक डिग्री तथा पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड।
- ख) यूजीसी द्वारा इस प्रयोजनार्थ संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अथवा यूजीसी द्वारा अनुमोदित इसी के समकक्ष अन्य किसी परीक्षा में अर्हता।

6.4 सहायक निदेशक -शारीरिक शिक्षा (लेवल-10, प्रवेश वेतन-57700/-) की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं

- क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शारीरिक शिक्षा में निष्णात डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में निष्णात डिग्री अथवा प्रथम श्रेणी अथवा इसके समकक्ष के साथ समकक्ष डिग्री तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड।

- ख) अंतरविश्वविद्यालय/अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य और/अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।
- ग) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजनार्थ संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हता तथा इन विनियमों के अनुसार संचालित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- घ) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्ययन के दौरान खेलकूद, नाटक, संगीत, फिल्म, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता कार्यक्रम प्रबंध में अथवा अन्य छात्र/कार्यक्रम प्रबंध क्रियाकलापों में पर्याप्त सलिप्तता का रिकार्ड तथा प्रतिभागिता का उत्कृष्ट ट्रैक रिकार्ड।
- ङ) छात्र संयोजक के रूप में अथवा जीवन के पश्चातवर्ती भाग में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का रिकार्ड।

6.5 सहायक पुस्तकाध्यक्ष और सहायक निदेशक-शारीरिक शिक्षा के लिए प्रोन्नति की क्रियाविधि

सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा सहायक निदेशक-शारीरिक शिक्षा के लिए प्रोन्नति हेतु अर्हताएं यूजीसी की अधिसूचना सं० एफ. 1-2/2017(ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार होंगी।

7.0 अतिरिक्त आवश्यकताएं :

7.1 शोध प्रकाशन :

प्रोन्नति के लिए प्रकाशनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित के माध्यम से न्यूनतम मानक सुनिश्चित किया जाएगा :

- क) प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थ के लिए, उम्मीदवारों ने एससीआई जर्नलों अथवा यूजीसी अनुमोदित जर्नलों अथवा अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची अथवा संबंधित परिषदों/संस्थानों जैसे वास्तुकला परिषद्/भारतीय भेषजी परिषद्/नगर आयोजनाकार संस्थान, भारत के साथ अभातशिप द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित जर्नलों में शोध पत्र प्रकाशित किए हों।
- ख) एचएमसीटी के मामले में, अनुसंधान/परामर्श के रूप में 1 जीवंत मामला अध्ययन अथवा 1 जीवंत उद्योग परियोजना जिसमें अत्यंत उच्च कोटि के प्रत्यायक को 1 प्रकाशन के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाएगी।
- ग) डिजाइन, वास्तुकला और नगर आयोजना के मामले में, 1 जीवंत मामला अध्ययन, शोध/परामर्श के रूप में 1 जीवंत उद्योग परियोजना अथवा अत्यंत उच्च कोटि के प्रत्यायक रखने वाले/उच्च स्तरीय मान्यता प्राप्त करने वाले 1 अपवादस्वरूप डिजाइन को 1 प्रकाशन के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाएगी।

7.2 पीएच.डी के लिए समकक्षता

पीएच.डी. के लिए समकक्षता 5 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से अन्यून हो, जिसमें पदधारक मुख्य लेखक है तथा सभी 5 प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। विकल्पतः व्यक्ति ने कम-से-कम दो पेटेंट प्राप्त किए होने चाहिए तथा कार्य स्थल में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योगदान किया होना चाहिए जिसे राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई हो अथवा वह राष्ट्रीय अकादमियों में से किसी के फैलो के रूप में निर्वाचित हो। तथापि, समकक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी।

7.2.1 बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे पीएच.डी करने हेतु पात्रता

पदों के विभिन्न स्तरों के लिए बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे प्राप्त की गई पीएच.डी. की अर्हता तकनीकी संस्थाओं में लागू होगी, बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पीएच.डी. की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (जैसे कि - आईआईटी/आईआईएससी/एनआईटी इत्यादि) द्वारा प्रदान की गई हो। आगे यह भी की, उम्मीदवार ने इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो।

7.3 वर्ग/श्रेणी

यदि कोई वर्ग/श्रेणी प्रदान नहीं की गई है, सकल अंकों के अधिकतम 60 प्रतिशत अंकों पर प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड अंक प्रणाली अपनाई गई है, तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा :

ग्रेड अंक	समकक्ष प्रतिशतता
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

7.4 प्रासंगिक डिग्रियों की नामावली :

विभिन्न संकाय पदों के लिए अर्हताएं निर्दिष्ट करती हैं कि डिग्री की विशेषज्ञता उपयुक्त/प्रासंगिक शाखा में होगी। अनेक आईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय नई नामावलियों के अंतर्विषयक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। इंजीनियरी की अंतर्विषयक प्रकृति के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, स्नातकपूर्ण और स्नातकोत्तर, दोनों ही विशेषज्ञताओं के अंतर्विषयक पाठ्यक्रमों पर विचार किया जा सकेगा। चयन समिति अध्ययन के कार्यक्रम तथा संस्था की आवश्यकता के आधार पर इस संबंध में अंतिम निर्णय ले सकेगी। अभातशिप ने इस मुद्दे को भारत सरकार के राजपत्र एफ. सं० 27/आरआईएफडी/वेतन/01/2017-18 दिनांक 28.04.2017 द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यदि अभातशिप की परिधि में कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड/विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के आधार पर समकक्षता पर निर्णय लेगा। अतः उनकी अर्जित अर्हता/विशेषज्ञता के आधार पर पूर्व में नियुक्त पदधारक संकाय सदस्य अथवा अन्य संस्थाओं में प्रोन्नति के लिए और साथ ही सीधी भर्ती के लिए अर्हक बने रहना जारी रहेंगे, बशर्ते कि वे विभिन्न शिक्षण पदों के लिए यथा विनिर्दिष्ट अन्य पात्रता मानदण्डों और उच्च अर्हताओं, यदि कोई हैं, की पूर्ति करते हों।

7.5 पूर्व अर्हताओं के साथ पदधारक संकाय सदस्य :

विद्यमान पदधारक जिन्हें मूलभूत न्यूनतम अर्हताओं जैसे एम.एससी (गणित), एम.एससी (जैव-प्रौद्योगिकी), एम.एससी. (इलैक्ट्रॉनिक्स), एम.एस.सी (कम्प्यूटर विज्ञान एवं संबद्ध विषय), एम.एससी. (भौतिकी), एम.एससी. (रसायन विज्ञान), एम.सी.ए., पीजीडीएम, एएमआईई/एम.कॉम और किसी अन्य समान अर्हता के साथ भर्ती किया गया था, जिसे नियुक्ति के समय अर्हक माना गया था अथवा अभातशिप राजपत्र दिनांक 13 मार्च, 2010 के प्रकाशन से पूर्व प्रवेश लिया था, को उसी अथवा अन्य संस्थाओं में प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती के लिए अर्हक माना जाएगा बशर्ते कि, वे विभिन्न शिक्षण पदों के लिए अन्य मानदण्डों और उच्च अर्हताओं, यदि कोई हैं, की पूर्ति करते हैं।

7.6 प्रतिनियुक्ति पर संकाय सदस्य

किसी संकाय सदस्य, जो किसी सरकारी संगठन/स्वायत्तशासी निकाय जैसे डीटीई/अभातशिप/यूजीसी/मा.सं.वि.मं./डीएसटी आदि में शैक्षणिक/प्रशासनिक पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, को शैक्षणिक और अकादमिक/प्रशासन का अनुभव प्राप्त माना जाएगा तथा एफडीपी, औद्योगिक प्रशिक्षण और 360 डिग्री प्रतिपुष्टि की अपेक्षा से छूट दी जाएगी। यदि किसी संकाय सदस्य ने कम-से-कम 'बहुत अच्छा' कोटि प्राप्त की है, तो उसे प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए इस अधिसूचना के संदर्भ में 360 डिग्री प्रतिपुष्टि के 10 अंकों के पैमाने पर 8 अंकों के समकक्ष माना जाएगा।

अस्वीकरण : अधिसूचना की भाषा

अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। यद्यपि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है। तथापि व्याख्या में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्रो. एम. पी. पूनिया, उपाध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./561/18]

अनुबंध-I**डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका**

(सभी आंकड़े रुपयों (रु.) में हैं)							
6 ^{ठें} केन्द्रीय वेतन आयोग में वेतन बैंड		15600 –39100			37400 - 67000		67000-79000
कैडर शीर्षक		सहायक प्रोफेसर			एसोसिएट प्रोफेसर	प्रोफेसर	वरिष्ठ प्रोफेसर
6 ^{ठें} केन्द्रीय वेतन आयोग में ग्रेड वेतन		6000	7000	8000	9000	10000	0
प्रवेश वेतन		21600	25790	29900	49200	53000	67000
सैल संख्या	स्तर	10	11	12	13ए1	14	15
1		57700	68900	79800	131400	144200	182200
2		59400	71000	82200	135300	148500	187700
3		61200	73100	84700	139400	153000	193300
4		63000	75300	87200	143600	157600	199100
5		64900	77600	89800	147900	162300	205100
6		66800	79900	92500	152300	167200	211300
7		68800	82300	95300	156900	172200	217600

8	70900	84800	98200	161600	177400	224100
9	73000	87300	101100	166400	182700	
10	75200	89900	104100	171400	188200	
11	77500	92600	107200	176500	193800	
12	79800	95400	110400	181800	199600	
13	82200	98300	113700	187300	205600	
14	84700	101200	117100	192900	211800	
15	87200	104200	120600	198700	218200	
16	89800	107300	124200	204700		
17	92500	110500	127900	210800		
18	95300	113800	131700	217100		
19	98200	117200	135700			
20	101100	120700	139800			
21	104100	124300	144000			
22	107200	128000	148300			
23	110400	131800	152700			
24	113700	135800	157300			
25	117100	139900	162000			
26	120600	144100	166900			
27	124200	148400	171900			
28	127900	152900	177100			
29	131700	157500	182400			
30	135700	162200	187900			
31	139800	167100	193500			
32	144000	172100	199300			
33	148300	177300	205300			
34	152700	182600	211500			
35	157300	188100				
36	162000	193700				
37	166900	199500				
38	171900	205500				
39	177100					
40	182400					

नोट: किसी भी कॉलम के अंतिम बिन्दु उस लेवल पर प्राप्त किए गए वेतन के अंतिम बिन्दुओं को व्यक्त नहीं करते हैं। जैसाकि पारंपरिक वेतनमान के पूर्व के प्रावधानों में था कि अंतिम बिन्दु परिकलन के उद्देश्य से उस लेवल के अधिकतम वेतन को नहीं दर्शाता है। किसी भी स्तर के औसत वेतन की गणना के लिए कॉलम के अंतिम बिन्दुओं को वेतनमान के अधिकतम एवं न्यूनतम वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अनुबंध-II

छानबीन-सह-मूल्यांकन/चयन समिति का गठन

अभातशिप ने निम्नलिखित के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश तैयार किए हैं :

(क) सीधी भर्ती के लिए और प्रोन्नतियों के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के चयन हेतु चयन समिति का गठन।

(ख) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती और प्रोन्नतियों हेतु विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रियाएं।

चयन कार्यवाहियां :

चयन समिति की समस्त चयन प्रक्रियाएं चयन समिति की बैठक के तत्काल उपरांत ही पूर्ण की जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक प्रोफार्मा और मैरिट के आधार पर की गई सिफारिश, योग्यता के क्रम में चयनित और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों/नामों के पैनल के साथ कार्यवृत्त अभिलेखित किए जाएंगे जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों हेतु चयन समिति की संरचना

I. विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों के लिए :

- (क) विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :
- कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
 - संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ।
 - संबंधित संकाय का डीन, जहां लागू हो।
 - विभाग/विद्यालय का प्रमुख/अध्यक्ष।
 - विजिटर/चांसलर द्वारा नामनिर्दिष्ट शिक्षाविद्, जहां लागू हो।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग जन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद् जिसका नामनिर्देशन कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा किया जाएगा, यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।
- (ख) बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करने के प्रयोजनार्थ, पांच सदस्य उपस्थित होंगे जिनमें से कम-से-कम दो सदस्य कुल तीन विषय-विशेषज्ञों में से होंगे।

II. तकनीकी संस्थाओं में संकाय सदस्यों के लिए :

- (क) प्राइवेट महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :
- महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय के सदस्यों के मध्य में से उसका नामिती चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
 - महाविद्यालय का प्राचार्य/निदेशक।
 - महाविद्यालय से संबंधित विषय का विभागाध्यक्ष।
 - संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति के दो नामिती जिनमें से एक विषय-विशेषज्ञ होना चाहिए। यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में अधिसूचित/घोषित किया गया है, पाँच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के अध्यक्ष के दो नामिती, जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे, जिनकी अनुशंसा संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा महाविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा सुझाई गई विशेषज्ञों की सूची में से की जाएगी, जिसमें से एक विषय-विशेषज्ञ होना चाहिए।
 - संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय-विशेषज्ञों की सूची से कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा अनुशंसित पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विषय-विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से संबद्ध नहीं होंगे।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/दिव्यांग जन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, जिसका नामनिर्देशन कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।
- (ख) बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करने के प्रयोजनार्थ, पांच सदस्य उपस्थित होंगे जिनमें से कम-से-कम दो सदस्य कुल तीन विषय-विशेषज्ञों में से होंगे।
- (ग) सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/सरकारी स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के लिए सभी लेवलों हेतु शिक्षण पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग/शिक्षक भर्ती बोर्ड, जहां लागू है, तीन विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे जिसके लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वे राज्य, जहां स्वायत्तशासी संस्थानों में चयन

संबंधित शासी बोर्डों को प्राधिकृत किया गया है, ऐसा करना जारी रखेंगे परंतु समिति का गठन अभातशिप द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार किया जाएगा।

III. वरिष्ठ प्रोफेसर

(क) वरिष्ठ प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

- i) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।
- ii) वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के रैंक से अनिम्न शिक्षाविद् जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होगा, जो विजिटर/चांसलर, जहां लागू है, का नामिती होगा।
- iii) संबंधित विषय/क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के रैंक से अनिम्न तीन विशेषज्ञ जिनका नामनिर्देशन विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा किया जाएगा।
- iv) संकाय का डीन, जहां लागू है (जो वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के रैंक से अनिम्न होगा जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होगा)।
- v) प्रमुख/अध्यक्ष (जो वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के रैंक से अनिम्न होगा जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होगा) अथवा विभाग/विद्यालय का वरिष्ठतम प्रोफेसर (जो वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के रैंक से अनिम्न होगा और जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होगा), यदि प्रमुख/अध्यक्ष, यदि कोई है, उपर्युक्त अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता है।
- vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग जन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद् (जो वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के रैंक से अनिम्न होगा जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होगा), यदि श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, जिसका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।

(ख) चार सदस्य, जिनमें दो बाह्य विषय-विशेषज्ञ शामिल हैं, गणपूर्ति गठित करेंगे।

IV. तकनीकी संस्था के प्राचार्य/निदेशक

(क) महाविद्यालय प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

- i) अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय का अध्यक्ष।
- ii) महाविद्यालय के शासी निकाय के दो सदस्य जिनका नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा।
- iii) कुलपति का एक नामिती जो उच्च शिक्षा प्रबंधन में विशेषज्ञ होगा।
- iv) तीन विशेषज्ञ, जिनमें महाविद्यालय का प्राचार्य/निदेशक, एक प्रोफेसर तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित छह विशेषज्ञों के पैनल में से प्रोफेसर के रैंक के अनिम्न एक सुस्थापित शिक्षाविद् (जिसका नामनिर्देशन महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा किया जाएगा) शामिल होगा।
- v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांगजन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, जिसका नामनिर्देशन संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ख) बैठक की गणपूर्ति गठित करने के लिए, पांच सदस्य उपस्थित होंगे, जिनमें से कम-से-कम दो सदस्य, तीन विषय-विशेषज्ञों में से होंगे।

अनुबंध-III

सभी विषयक्षेत्रों से शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाएं

सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लिए : सहायक प्रोफेसर के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति :

प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएमएमटीटी/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/एसपीए/आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाइन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) जिसमें से कम-से-कम एक एफडीपी उन्नत शिक्षा शास्त्र में हो।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लिए : सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति :

प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएमटीटी/आईआईएस/ आईआईटी/ विश्वविद्यालय/ सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/एसपीए/ आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाइन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

कम-से-कम दो सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

एसोसिएट प्रोफेसर के लिए : सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति :

प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएमटीटी/आईआईएस/ आईआईटी/ विश्वविद्यालय/ सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/एसपीए/ आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाइन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

अनुबंध - IV

360⁰ प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन

360⁰ स्कोर का निर्धारण निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा :

- क. शिक्षण (अधिकतम अंक 25)
- ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
- ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)
- घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)
- ङ. ए.सी.आर. (अंक 10)
- च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)

उम्मीदवार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विचार की जाने वाली परिकलन शीट और एक सारांश शीट प्रस्तुत करेगा जिसमें 10 अंक के पैमाने पर उसके अंकों को दर्शाया गया होगा।

क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)

परिकलन को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा इस अनुबंध में दर्शाया गया है। तालिका में विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के विवरण होंगे जैसे सत्र (सेमेस्टर), पाठ्यक्रम कोड/नाम, अधिसूचित कक्षाओं की संख्या, वास्तव में लगाई गई कक्षाएं। योग को 25 अंक पैमाने पर कम किया जाएगा।

ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

उम्मीदवार विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 के पैमाने पर औसत अंक प्रस्तुत करेगा। सभी ऐसे अंकों के कुल औसत का प्रयोग किया जाएगा।

ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)

यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से शिक्षक को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं, जैसे प्रयोगशाला प्रभारी, टाईम टेबल प्रभारी, एनबीए-अभातशिप कार्य, प्रायोजित परियोजनाएं, विभागीय न्यूजलैटर आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंकों तक 3 अंक अर्जित रहेगा।

घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)

यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से किसी उम्मीदवार को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं जैसे विभागाध्यक्ष, समन्वयक, वार्डन, प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी, संपदा अधिकारी आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंकों तक 5 अंक अर्जित रहेगा।

ङ. ए.सी.आर. (अधिकतम अंक 10)

संस्थान स्तर पर अनुरक्षित ए.सी.आर. में ग्रेडिंग के आधार पर 10 अंक होंगे।

च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)

उम्मीदवार अभातशिप द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों में शामिल है। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर 5 अंक अर्जित करेगा। दावे को संस्थान के प्रमुख से कार्यालय आदेश/अधिकारिक पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सभी शैक्षणिक वर्षों के लिए अंकों के सकल योग को 10 अंक के पैमाने पर कम किया जाएगा।

टिप्पणी : उपर्युक्त मानदण्डों में उल्लिखित क्रियाकलाप सांकेतिक हैं। प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को जोड़/घटा सकेगा। निम्नलिखित अधिमानों के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुरक्षित ए.सी.आर. के लिए 20 अंकों में से 10 अंकों का अधिमान दिया जा सकेगा।

असाधारण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक
10	9	8	7	5

क्रेडिट अंकों का परिकलन

(प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-1)

नाम	
वर्तमान पद	
शैक्षणिक वर्ष	
शिक्षण प्रक्रिया	

क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या	अर्जित अंक	संलग्नक संख्या
1	1/ 2018-19	सीईटी -100	42	39		
2	1/ 2018-19	सीईटी -200	39	38		
3	2/ 2018-19	एमईडी -100	41	39		
4	2/ 2018-19	बीएसई -100	42	41		
		कुल	164	157	23.93	

ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि	संलग्नक संख्या
	1/ 2018-19	सीईटी -100	22.3	
	1/ 2018-19	सीईटी -200	21.8	
	2/ 2018-19	एमईडी -100	19.6	
	2/ 2018-19	बीएसई -100	22.8	
		कुल	86.5	

ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रेडिट 20)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	1/ 2018-19	प्रयोगशाला प्रभारी	3	3 अंक / सत्र	
2	1/ 2018-19	परामर्श	3	3 अंक / सत्र	
3	1/ 2018-19	टाईम टेबल प्रभारी	3	3 अंक / सत्र	
4	2/ 2018-19	टाईम टेबल प्रभारी	3	3 अंक / सत्र	
5	2/ 2018-19	एनबीए कार्य	3	3 अंक / कार्यक्रम	
6	2/ 2018-19	प्रयोगशाला प्रभारी	3	3 अंक / कार्यक्रम	
7	2/ 2018-19	परामर्श	3	3 अंक / सत्र	
		कुल	21		

क्रेडिट अंकों का परिकलन

[प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-2]

घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	1/ 2018-19	विभागाध्यक्ष / डीन	4	4 अंक / सत्र	
2	2/ 2018-19	संस्थान के प्रमुख द्वारा नियुक्त समन्वयक	2	2 अंक / सत्र	
3	2/ 2018-19	आयोजित सम्मेलन	2	2 अंक / कार्यक्रम	
4	2/ 2018-19	एफडीपी / सम्मेलन	2	1 अंक / कार्यक्रम, सभी सह-समन्वयकों के बीच विभाजित किए जाएं	

ङ. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रेडिट 10)

असाधारण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक
10	9	8	7	5

क्रम संख्या	वर्ष	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	2018-19	एसीआर	10	असाधारण	
2		एसीआर	8	बहुत अच्छा	
3		एसीआर	9	उत्कृष्ट	
4		एसीआर	10	असाधारण	
औसत			37/4 = 9.25		

च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1		अधिष्ठापन कार्यक्रम	5		
2		उन्नत भारत अभियान	5		
3		योग कक्षाएं	5		
4		रक्त दान	5		

क्रेडिट अंकों का परिकलन

(खाली प्रपत्र)

नाम	
वर्तमान पद	
शैक्षणिक वर्ष	
शिक्षण प्रक्रिया	

क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या	अंक	संलग्नक संख्या
1						
2						

ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि	संलग्नक संख्या
1				
2				

ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रेडिट 20)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

ङ. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	वर्ष	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम अंक 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

सारांश

सारांश	शैक्षणिक वर्ष	शैक्षणिक वर्ष	शैक्षणिक वर्ष
	1	2	3
क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)			
ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)			
ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)			
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)			
ङ. अभातिशिप पहलकदम (अधिकतम अंक 10)			
कुल (अधिकतम अंक 100)			
10 अंक स्केल में कुल			

छात्र प्रतिपुष्टि प्रपत्र

(संस्था के उपयोग के लिए)

शैक्षणिक वर्ष :		संकाय का नाम	
पाठ्यक्रम		सत्र	
		प्रतिपुष्टि की तिथि	

विद्यार्थी द्वारा भरे जाने के लिए

क्रम संख्या	वर्णन	बहुत खराब (1)	खराब (2)	अच्छा (3)	बहुत अच्छा (4)	उत्कृष्ट (5)
1	क्या शिक्षक ने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समग्र विषयवस्तु को पूरा किया है ?					

2	क्या शिक्षक ने विषयवस्तु के अतिरिक्त प्रासंगिक शीर्षकों को भी शामिल किया है					
3	निम्न के संदर्भ में शिक्षक की प्रभावशीलता :					
	(क) तकनीकी अन्तर्वस्तु/पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु					
	(ख) सम्प्रेषण कौशल					
	(ग) शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग					
4	जिस गति से अन्तर्वस्तु पूरी की जाती है					
5	विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा					
6	विद्यार्थियों के कौशलों को विकसित करने के लिए सहायता					
	(i) प्रायोगिक प्रदर्शन					
	(ii) मौके पर प्रदर्शन					
7	विद्यार्थियों की अपेक्षाओं की स्पष्टता					
8	विद्यार्थियों की प्रगति पर उपलब्ध करवाई गई प्रतिपुष्टि					
9	विद्यार्थियों को सहायता एवं परामर्श देने की तत्परता					
	कुल					

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

AICTE REGULATIONS ON PAY SCALES, SERVICE CONDITIONS AND MINIMUM QUALIFICATIONS FOR THE APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF SUCH AS LIBRARY, PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING & PLACEMENT PERSONNEL IN TECHNICAL INSTITUTIONS AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN TECHNICAL EDUCATION – (DEGREE) REGULATION, 2019.

F. No. 61-1/RIFD/7th CPC/2016-17.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10(g), (h) and (i) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and after approval of the Government of India vide No. 1 - 37 / 2016 – TS.II, Dated 18th January, 2019 followed by letters of even No. dated 29th January, 2019 and 12th February, 2019, the All India Council for Technical Education makes the following regulations; namely:

1.0 Short Title, Application and Commencement

1.1 Short Title

These regulations may be called the All India Council for Technical Education Pay Scales, Service Conditions and Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff such as Library, Physical Education and Training & Placement Personnel in Technical Institutions and Measures for the Maintenance of Standards in Technical Education – (Degree) Regulation, 2019.

1.2 Categories of Institutions to whom the regulations apply

These shall apply to all degree level technical institutions and universities including deemed to be universities imparting technical education and such other courses / programs approved by AICTE and areas as notified by the council from time to time.

1.3 Date of Effect

- a) **Pay Scales and DA:** The revised pay-scales shall be effective from 1.1.2016.
- b) **Other Allowances:** Allowances such as Leave Travel Concession, Special Compensatory Allowances, Children's Education Allowance, Transport Allowance, House Rent Allowance, Deputation Allowance, House Building Allowance, Travelling Allowance etc. shall be applicable from the date as notified by the Central Government / respective State and UT Government from time to time.

1.4 Effective date of application of Service Conditions

- a) All other service conditions including Qualifications, Experience, Recruitment, Promotions publications, training and course requirements etc. shall come into force with effect from the date of this Gazette Notification.
- b) The Qualifications, Experience, Recruitment and Promotions etc. during 01-01-2016 till the issue of this Gazette Notification shall be governed by All India Council for Technical Education Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree) Regulation, 2010 dated 5th March 2010 and subsequent notifications issued from time to time.
- c) Those who are eligible for promotions after the date of publication of this gazette, shall have to meet the necessary conditions such as additional qualification, undergoing industrial training, pedagogical training, faculty induction program, publishing research papers etc. However, these requirements shall be permitted to be fulfilled till 31st July, 2022 so as to enable faculty members in equipping them for requisite mandatory requirements of this gazette to avail the benefit of promotion retrospectively from the date of eligibility.
- d) For incumbent faculty members, the date of eligibility up to 31st July, 2022 shall be allowed to be according to the 6th CPC Gazette notification published on 8th November, 2012. All the benefit of promotion to such candidates be permitted retrospectively on the date when he/she became eligible.
- e) It may be noted that, no further extension would be given beyond 31st July, 2022 and those who do not meet the essential criteria despite the above grace period, shall lose an opportunity for getting promotion retrospectively. However, they will be eligible for promotion from the date they meet these criteria thereafter.
- f) In cases, wherein interviews are already conducted either for direct recruitment or for promotions but candidates did not join, such candidates may be allowed to join. Their further up-gradation will be governed by this notification.
- g) In cases, where advertisement was published, applications invited but interviews have not been conducted till publication of this notification, the institutes / employers are required to publish corrigendum and processing of applications must be done in accordance with the provisions given in this notification.

2.0 General

2.1 Revised Designations and Mode of Appointments

There shall be only three designations in respect of teachers in degree level technical institutions as far as cadre structure is concerned, namely **Assistant Professor**, **Associate Professor** and **Professor** as given below in **Table 1**. Also there shall be no change in the present designations in respect of **Library**, **Physical Education** and **Training & Placement** Personnel at various levels.

Following mode of appointment shall henceforth be used:

Table 1: Cadre Structure and Mode of Appointment

Sr. No.	Designations of Teaching Faculty	Entry Pay	Level	Mode of Appointment
1	Assistant Professor	57700	10	Direct Recruitment
2	Assistant Professor (Senior Scale)	68900	11	Promotion
3	Assistant Professor (Selection Grade)	79800	12	Promotion
4	Associate Professor	131400	13A1	Promotion / Direct Recruitment
5	Professor	144200	14	Promotion / Direct Recruitment
6	Senior Professor	182200	15	Promotion
7	Principal / Director	144200	14	Direct Recruitment

2.2 New Pay Structure

The new pay structure shall involve a pay matrix with an ascending series of levels and ascending cells in each level. The new pay matrix shall subsume the pay band and grade pay in one simple chart as given in **Annexure - I**. The pay matrix shall comprise of two dimensions – a horizontal range of levels starting from the lowest level in the hierarchy and ascending to the highest level, with the levels being numbered from 10 to 15 covering the entire gamut of Teachers and other Academic Staff. Within each level, the salary increases as one goes down vertically, with each progression of going down represented by a “Cell”. Each Cell within that level represents the steps of annual financial progression of 3%. On recruitment / promotion, an employee shall join at a particular level and progress within the level as per the vertical range. The movement shall be based on annual increments till the time of his /her next promotion. When the employee will receive a promotion, he/she will progress to the next level in the horizontal range till it exhausts.

2.3 Levels and Cells

The method followed by the 7th CPC shall be adopted in the academic pay structure also, moving from the concept of Pay Band and Academic Grade Pay to that of Levels and Cells. The changes will appear only due to the existing difference between the two streams in terms of Academic Grade Pay vis-à-vis the corresponding Grade Pay. The levels for academic pay shall be numbered as per the corresponding non-academic level. Thus, the levels are numbered as 10, 11, 12, 13A1, 14, & 15 corresponding to the present AGP of Rs. 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 and 12000 respectively.

2.4 Pay Matrix and Fixation of Revised Pay

For Fixation of pay of an Employee in the Pay Matrix as on 1st January 2016, the existing pay (Pay in Pay Band plus Academic Grade Pay) in the pre-revised structure as on 31st December, 2015 shall be multiplied by a **factor of 2.57**, rounded off to the nearest Rupee, and the figure so arrived at, will be located in that level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any cell in the applicable level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such cell is available in the applicable level, the pay shall be fixed at the immediate next higher cell in that applicable level of the Pay Matrix. If the figure arrived at in this manner is less than the first cell in that level, then the pay shall be fixed at the first cell of that level of Pay Matrix.

If more than two stages are bunched together, one additional increment equal to 3% may be given for every two stages bunched, and pay fixed in the subsequent cell in the pay matrix.

2.5 Pay Bands with AGP and IOR (Index of Rationalization)

Based on the above, the various levels of pay with its Academic Grade Pay (AGP) are as per **Annexure-I**.

2.6 Entry Pay

The Entry Pay for Academic Pay Structures and Levels shall be as per **Table 1**.

2.7 Pay Fixation in case of Direct Recruitment / Promotion

The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first cell in the level, applicable to the post to which such employee is appointed. In case of promotion, candidate would be given a notional increment in his existing Level of Pay, by moving him/her to the next higher cell at that level. The pay shown in this cell would now be located in the new level corresponding to the post to which candidate has been promoted. If a cell identical with that pay is available in the new level, that cell shall be the new pay; otherwise the next higher cell at that level shall be the new pay of the employee. If the pay arrived at in this manner is less than the first cell in the new level, then the pay shall be fixed at the first cell of that level.

2.8 Date of Increment

- (i) Annual increment is given in the Pay Matrix at 3%, with each cell being higher by 3% over the previous cell in the same level, rounded off to nearest 100. Annual increments to each employee would move up in the same academic level, with an employee moving from the existing cell in the academic level to the immediate next cell in the same academic level.
- (ii) There shall be two dates of increment i.e. 1st January and 1st July of every year, provided that an employee shall be entitled to only one annual increment on either one of these two dates depending on the date of appointment, promotion or grant of financial upgradation.
- (iii) The increment in respect of an employee appointed or promoted during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

2.9 Annual Process of Promotion

Every University / College / DTE shall ensure that the selection process for direct recruitment for various positions is carried out annually so as to maintain required faculty numbers and cadre ratio as per AICTE norms so that no loss is caused to students. Interviews for the promotions of the faculty members shall be carried out at a regular span annually to avoid any stagnation in career growth of faculty members.

Candidates who do not fulfill the minimum requirement proposed in the Regulation, will have to be re-assessed after a period of one year. The date of promotion shall be the date on which he / she satisfies all the minimum requirements and successfully reassessed.

The constitution of the selection committee as applicable to these appointments / promotions of the Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor or Professor to Senior Professor is enumerated in **Annexure-II**. Various stages of promotions/ direct recruitment and mode of selection are given in Table 2.

A teacher who wishes to be considered for promotion may submit in writing in the prescribed proforma as evolved by the concerned University / College duly supported by all credentials to the Principal / Director of the College, within three months in advance of the due date, that he / she fulfils all requisite qualifications.

The entry level and consecutive stages of promotions are shown in **Table 2**

Table 2: Stages of Promotion/ Direct Recruitment and mode of selection

Stage	Designation
Entry Level, Stage-I	Assistant Professor
Stage-II	Assistant Professor (Senior Scale)
Stage-III	Assistant Professor (Selection Grade)

Stage-IV	Associate Professor
Stage-V	Professor
Stage-VI	Senior Professor

2.10 Research Promotion Grant

The thrust has to be given for improving quality of research and development in the Universities / Institutions, therefore, all the AICTE recognized Institutions shall create a separate budget and provide financial assistance to their faculty members for strengthening research activities.

2.11 Financial Assistance from Government of India for implementation of 7th CPC scale.

The Central Government shall provide by way of financial assistance, **50%** of the additional expenditure (arrears from 01.01.2016 till 31.03.2019) on implementing the revised scales of pay for faculty and other staff such as Library, Physical Education and Training Placement Personnel in State Government/Government Aided /State Government Autonomous institutions/State University Departments.

- a) Financial assistance from the Central Government to State / UT Governments for revising pay scales of teachers and other staff such as Library, Physical Education and Training Placement Personnel under the scheme shall be limited, by way of reimbursement, to the extent of 50% (fifty percent) of the additional expenditure involved after payment of arrears to eligible faculty members in the implementation of the revision, for the Universities, colleges and other technical education institutions funded by the State / UT Government. For this, State / UT Governments shall submit the claim to the Central Government. All such claims must be submitted to the Central Government by the state / UT on or before 31.03.2020. No claim of the State / UT Government shall be considered for financial assistance after 31.03.2020.
- b) Financial assistance referred to in sub-clause (a) above shall be provided for the period from 01.01.2016 to 31.03.2019 only.
- c) The entire liability on account of revision of pay scales etc. with effect from 01.04.2019 shall be taken over by the State / UT Government opting for revision of pay scales.
- d) Financial assistance from the Central Government shall be restricted to revision of pay scales and not for any other allowances and in respect of only those posts which were in existence and had been filled up on regular basis as on 01.01.2016.
- e) State / UT Governments, taking into consideration other local conditions, may also decide at their discretion, to introduce pay higher than those mentioned in this Scheme, and shall give effect to the revised scales of pay from 01.01.2016; however, in such cases, the details of modifications proposed shall be furnished to the Central Government and Central assistance shall be restricted to the Pay as approved by the Central Government and not to any higher pay fixed by the State / UT Government(s).
- f) Payment of Central assistance for implementing this Scheme is also subject to the condition that the entire Scheme of revision of pay scales together with all the conditions laid down by the AICTE by way of Regulations and other guidelines shall be implemented by State / UT Governments and technical institutions coming under their jurisdiction as a composite scheme.
- g) An undertaking shall be taken from every beneficiary under this Scheme to the effect that any excess payment made on account of incorrect fixation of pay or due to any other reason shall be adjusted against the future payments due or otherwise to the beneficiary in the same manner as provided in this HRD Ministry's O.M. No. F.23-7/2008-IFD dated 23.01.2008, read with Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. F.1-1/2CQ8-IC dated 30.08.2008.
- h) The revised pay including arrears of salary and applicable allowances from the date of application as mentioned above shall be paid to all eligible beneficiaries under this scheme.

2.12 Age of Superannuation

The age of superannuation of all faculty members and Principals / Directors of institutions shall be 65 years. An extension of 5 years (till the attainment of 70 years of age) may be given to those faculty members who are physically fit, have written technical books, published papers and has average 360° feedback of more than 8 out of 10 indicating them being active during last 3 preceding years of service.

2.13 Health Insurance Scheme

Wherever full health coverage for self and family is not provided for by the Government, individual institutions shall implement Contributory Group Health Insurance Scheme for faculty members and other academic staff to extend social security to them and to help attract and retain them for longer association with respective institutions. The Group Health Insurance option shall also be extended to the retired faculty members.

2.14 Pension, Gratuity, Family Pension, GPF, Leave Encashment and Other Pensionary Benefits

All pensionary benefits including leave encashment shall be extended to faculty members and other staff such as Library, Physical Education and Training & Placement Personnel as per the revised norms recommended by the 7th CPC and implemented by the Government of India / State and UT Governments.

2.15 Industrial Training

Since a requirement of industrial training has been stipulated for vertical movement of faculty members, the AICTE, State / UT Government/ DTEs, in consultation with the Confederation of Indian Industries (CII), FICCI, NASSCOM and other such industry bodies, devise a suitable mechanism for facilitating all faculty members to undergo industrial training.

2.16 Teaching Engagement

The faculty members working in technical institutions under the purview of AICTE shall have an engagement of not less than 40 hours per week including teaching contact hours and other activities. The work of tutorial / project / research / administration may be distributed among the faculty members as per the need and availability of staff. The laboratory engagement will also be counted towards teaching hours. The minimum teaching contact hours for various positions shall be as given in **Table 3** below.

Table 3: Teaching Engagement of Faculty Members in Degree Level Institutions

Designation	(Teaching / Laboratory hours) / week
Assistant Professor	16
Associate Professor	14
Professor / Senior Professor	14
Director / Principal	6

Relaxation of 2 hours per week in teaching contact hours shall be granted to faculty members handling additional responsibilities like HOD / Dean.

2.17 Incentives for New Entrants

New entrants as well as existing faculty members of degree level institutions should be provided with a desktop computer / laptop / office furniture and a printer with internet connectivity in their office so as to make a faculty member computer savvy and to enable them to have access to the latest technology.

2.18 Grant for Professional Development

All teachers may be given a grant up to Rs.75,000/- per year on a reimbursement basis, which may be permitted to be accumulated up to 3 years towards acquiring the membership of Professional Societies and for participating in national / international conferences/workshops etc.

2.19 Consultancy

- (i) Consultancy work may be undertaken by members of the faculty to generate resources, either for institutions or for themselves.
- (ii) Not only the faculty members should be encouraged to undertake consultancy work, but also an appropriate environment be created by the state governments / managements of institutions to facilitate faculty members to undertake such work.
- (iii) Suitable parameters for sharing the generated resources between the institution and individual faculty member may be evolved and adopted by the universities and institutions where consultancy work is undertaken by faculty members.
- (iv) The faculty members engaged in consultancy/ industry interaction / research / start-up activities / community services may be allowed some adjustment in teaching time table without compromising their teaching engagement hours.

2.20 Sabbatical Leave for faculty

To encourage interface between technical education and industry, the faculty members shall be entitled to sabbatical leave of six months for working in industry / professional development, subject to the condition that the faculty has a teaching experience of minimum five years. Such leave, however, shall be available to a teacher only twice in his / her teaching career.

2.21 Start-up

Presently, the institutions are ranked based on academic performance and placement of students. In future, it may also be based on a number of start-ups and entrepreneurs created by the institute. Therefore, technology incubation centres shall be established and frequent interactions between entrepreneurs / industrialists / alumni and students shall be arranged for motivating students to initiate start-up.

2.22 Incentives for Ph. D. and other Higher Qualification

- (i) Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of a recruit as an Assistant Professor possessing a Ph.D. awarded in a relevant discipline by the recognized University following the due process of admission test, course work and external evaluation as prescribed by the UGC or the admission process adopted by the institutes established under the Act of Parliament or students having valid GATE / GPAT score for admission to Ph.D. or students selected for Ph.D. program under National Doctoral Fellowship program of AICTE / Prime Minister's Research Fellowship program.
- (ii) Those possessing Post-graduate degree in M.Tech. / M. Arch. / M. Plan. / M. E./ M. Pharm. / M. Des. / M. S. etc. recognized by the relevant statutory body / council shall be entitled to two non-compounded advance increments at the entry level.
- (iii) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service as Assistant Professor shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level as Assistant Professor only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the discipline of employment and has been awarded by a recognized University following the due process of admission test, course work and external evaluation as prescribed by the UGC or the admission process adopted by the institutes established under the Act of Parliament or students having valid GATE / GPAT score for admission to Ph.D. or students selected for Ph.D. program under Quality Improvement Program (QIP) / Teacher Research Fellowship (TRF).

2.23 Statutory Reservation

The statutory reservation policy for recruitment and promotion of SC / ST / OBC / EBC / PWD / Women candidates must be adhered to as per the central / respective state / UT government rules.

2.24 Quality Improvement Programme (QIP) / Teaching Research Fellowship (TRF) Schemes

With a view to improve the quality of technical education, all DTEs and Secretaries of higher education of all the states are directed to implement QIP / TRF scheme for all the eligible teachers working in technical institutions. Managements of self-financing institutions are also directed to encourage their faculty members to participate in QIP / TRF / QIP (Foreign University).

2.25 Counting of Past Service for Direct Recruitment and Promotion

Previous regular service, whether national or international, as Assistant Professor, Associate Professor or Professor or equivalent in a University, College, National Laboratories or other scientific / professional organizations such as the CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR, ICMR, DBT or state PSUs etc., should be counted for direct recruitment as an Assistant Professor / Associate Professor / Professor provided that:

- a) The qualifications for the post held are not lower than the qualifications prescribed by the AICTE for Assistant Professor, Associate Professor and Professor as the case may be.
- b) The post is / was in an equivalent grade or of the pre-revised scale of pay as the post of Assistant Professor / Associate Professor / Reader and Professor.
- c) The candidate for direct recruitment has applied through proper channel.
- d) The concerned Assistant Professor, Associate Professor and Professor should possess the same minimum qualifications as prescribed by the AICTE for appointment to the post of Assistant Professor, Associate Professor and Professor, as the case may be.
- e) The post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down in the Regulations of University / State Government / Central Government / concerned institutions, for such appointments.
- f) The previous appointment was not as guest faculty for any duration or ad-hoc or in a leave vacancy of less than one year duration. Ad-hoc or temporary service of more than one year duration can be counted provided that:
 - (i) The period of service was of more than one year.
 - (ii) The incumbent was appointed on the recommendation of the duly constituted Selection Committee.
 - (iii) The incumbent was selected for the permanent post in continuation to the ad-hoc or temporary service;
 - (iv) An artificial break in service shall not be used to the prejudice of employee, appointed on permanent basis. The person appointed on a permanent basis shall be given the benefit of the entire service rendered by him with effect from the date of initial appointment (temporary / contract / ad-hoc) notwithstanding the artificial break / breaks in service.
 - (v) The incumbent was drawing total gross emoluments not less than the monthly gross salary at the initial stage of a regularly appointed Assistant Professor, Associate Professor and Professor, as the case may be; and
 - (vi) At the time of selection, the negotiated terms and conditions clearly mention the period of experience, nature of experience and same has been consented by the employer.
- g) No distinction should be made with reference to the nature of the management (Private /Local Body/ Government) of the institution where previous services were rendered while counting past services under this clause.

2.26. Equivalence of Experience of Diploma Level Institutions and Degree Level Institutions

Experience at Diploma Level Polytechnic shall be considered equivalent to experience in the degree level institutions at appropriate level, as applicable provided, scale of pay, qualifications, experience and research contribution are same for the post under consideration as per the present notification.

3.0 Cadre Structure**3.1 Minimum Cadre Ratio**

- (i) The minimum 1 : 2 : 6 of cadre ratio be maintained for Professor : Associate Professor: Assistant Professor respectively.
- (ii) Minimum number of faculty requirements for an approved institute shall be calculated on the basis of faculty : student ratio prescribed by AICTE.
- (iii) Faculty: student ratio would be applicable as per the approval process handbook published by AICTE from time to time.
- (iv) For the purposes of this cadre ratio, Assistant Professor, Assistant Professor (Senior Scale), Assistant Professor (Selection Grade) shall be grouped together and be termed as Assistant Professors.
- (v) Similarly, Professors and Senior Professors will be grouped together and be termed as Professors.
- (vi) Principal / Director shall be outside the purview of cadre ratio.

3.2 Flexible Cadre Structure

While promoting the incumbent, flexible cadre structure be followed as below:

- (i) Incumbent faculty members be upgraded to higher positions, after being eligible, through a process of promotion to be held annually, irrespective of availability of vacancy in that cadre.
- (ii) The incumbent so upgraded to a higher position shall be re-designated as Assistant Professor (Senior Scale) / Assistant Professors (Selection Grade) / Associate Professor / Professor as the case may be.
- (iii) With this cadre structure, more faculty members may become Professors / Associate Professors at some point of time as a result of which, cadre ratio as an example may become skewed such as 9:0:0 or 8:1:0 or 5:1:3 etc. but in any case it should not be 0:0:9 or 0:1:8 or 0:2:7.
- (iv) The total numbers of minimum faculty positions remain the same as calculated from faculty : student ratio, though the cadre ratio is improving with these promotions.
- (v) The lower post can be treated vacant once the incumbent moves on higher post through promotions or through direct selection by keeping total sanctioned posts of all cadres put together as fixed.
- (vi) This vacant post will be filled by suitable eligible incumbent possessing required qualifications.
- (vii) If a suitable candidate is not available, the post shall be filled by open selection.
- (viii) The open selection / promotion shall be made by a committee constituted as per norms published in this gazette.
- (ix) The candidate shall be promoted from lower cadre to higher cadre as and when they complete eligibility criteria for the higher cadre, irrespective of availability of post in that cadre.

3.3 Inter-se seniority between the directly recruited teachers and promoted

The inter-se seniority of a directly recruited teacher shall be determined with reference to the date of joining and for the teachers promoted with reference to the date of eligibility as indicated in the recommendations of the selection committee of the respective candidates. The rules and regulations of the respective Central / State Government/ UT Government shall apply for all other matters of seniority. Similar issues of seniority between directly selected and under CAS in the past, if any, be fixed on the same basis. The seniority list thus prepared be posted on the institute website.

3.4 Position of Principal / Director

- (i) Principal / Director of AICTE approved institution has to be a full time faculty selected in accordance with the due process of selection to be adopted by the concerned university / State Government / Public Service Commission / Respective Board of Governors / Board of

Management by taking into consideration the qualifications and other requirements as laid down by AICTE.

- (ii) In an institution where several programmes under technical education approved by AICTE are running, the Principal / Director shall be from one of the programmes preferably from a programme with maximum student strength.

4.0 Mandatory Teacher Trainings

- (i) Every teacher appointed / promoted to any position here onwards with effect from the publication of this gazette shall have to mandatorily undergo 8 online modules of MOOCs in SWAYAM as per the AICTE teacher training policy preferably within first year of service.
- (ii) No newly appointed faculty member shall be completing the probation without getting the certification of completion of these 8 modules. The teacher training policy document may be downloaded from AICTE website.
- (iii) The requirement of completing these modules as envisioned in this gazette is applicable to all the incumbent teachers also while applying for promotion / selection to next higher cadre only once in the career.
- (iv) Those who are eligible for promotions after the date of publication of this gazette, shall have to meet the necessary conditions such as additional qualification, undergoing industrial training, pedagogical training, faculty induction program, publishing research papers etc. However, these requirements shall be permitted to be fulfilled till 31st July, 2022 so as to enable faculty members in equipping them for requisite mandatory requirements of this gazette to avail the benefit of promotion retrospectively from the date of eligibility.

5.0 Minimum Qualification for Recruitments

Minimum qualification, experience, research contributions, feedback and requisite training requirements for different levels for direct recruitment and promotions for the faculty members are as follows.

5.1 Minimum Qualifications for direct recruitment as an Assistant Professor (Level – 10, Entry Pay 57700/-)

(a) Engineering / Technology

B. E. / B. Tech. / B. S. and M. E. / M. Tech. / M. S. or Integrated M. Tech. in relevant branch with first class or equivalent in any one of the degrees.

(b) Management

Bachelor's Degree in any discipline and Master's Degree in Business Administration / PGDM / C. A. / ICWA/ M. Com. with First Class or equivalent and two years of professional experience after acquiring the degree of Master's degree.

(c) Pharmacy

B. Pharm. and M. Pharm. in the relevant specialization with First Class or equivalent in any one of the two degrees.

(d) MCA

B. E. / B. Tech. / B. S. and M.E. / M. Tech. / M. S. or Integrated M. Tech. in relevant branch with First Class or equivalent in any one of the degrees.

OR

B. E., B. Tech. and MCA with First Class or equivalent in any one of the two degrees.

OR

Graduation of three years' duration with Mathematics as a compulsory subject and MCA with First Class or equivalent with 2 years of relevant experience after acquiring degree of MCA.

(e) Hotel Management and Catering Technology

Minimum 4 years Bachelor's Degree in HMCT and Master's Degree in HMCT or in relevant disciplines with First Class or equivalent in any one of the two degrees.

OR

Minimum 4 years Bachelor's Degree in HMCT with First Class or equivalent and minimum of 5 years of relevant experience at a managerial level not less than Assistant Manager in a 4 - star Hotel or in a similar position in the hospitality industry/ tourism industry.

(f) Architecture

B. Arch. and M. Arch. or equivalent Master's degree in an allied field with First Class in any one of the two degrees, and minimum 2 years' experience in the Architecture profession.

OR

B. Arch. with First class or equivalent and minimum of 5 years' experience in the Architecture profession.

(g) Town Planning

Bachelor's degree in Architecture / Planning / Civil Engineering or Master's degree in Geography / Economics / Sociology or equivalent AND Master of Planning or equivalent with First class or equivalent in either in Master of Planning or any above degrees with 2 years of relevant experience

(h) Design

Bachelor's Degree or minimum 4 year Diploma in any one of the streams of Design, Fine Arts, Applied Arts and Architecture or Bachelor's degree in Engineering with First class or equivalent

AND

Master's degree or equivalent Post Graduate Diploma in relevant disciplines with First Class or equivalent in a concerned / relevant /allied subject of Industrial Design / Visual Communication / Fine Arts / Applied Arts / Architecture / Interaction Design / New Media Studies / Design Management / Ergonomics / Human Factors Engineering / Indian Craft Studies and related fields of Engineering or Design.

AND

Minimum 2 years of professional design experience in Industry / research organization / Design studios.

(i) Fine Arts

Bachelor's and Master's degree in the relevant branch with First Class or equivalent in any one of the two degrees and minimum 2 years of relevant professional experience.

(j) Qualifications for Faculties in Science and Humanities:

The qualifications for recruitment and promotions for faculty in the disciplines of Basic Sciences, Social Science and Humanities shall be as per the UGC Notification No. F.1-2/2017(EC/PS) Dated 18th July, 2018 and UGC guidelines issued from time to time.

Note: Candidates who have done Ph.D. after the Bachelor's Degree from institution of National importance with GATE/ GPAT/ CEED shall be eligible for the post of Assistant Professor.

5.2 Minimum Qualification Norms for Direct Recruitments / Promotions for Stage –II to Stage –VI**(a) Qualification for Assistant Professor (Senior Scale, Level – 11, Entry Pay 68900/-)****For Promotion of Incumbents**

- a. Qualifications prescribed for the post of Assistant Professor

AND

- b. Should have completed minimum training requirements as per Annexure - III.

AND

- c. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.

Set No.	Additional Qualification	To have acquired in the cadre of Assistant Professor		
		Experience (Years)	Research publications in SCI journals /UGC /AICTE approved list of journals	Avg. 360° feedback score (out of 10)
1	-	4	2	8 to 10
2	-	5	1	8 to 10
3	-	5	2	5 to < 8

(b) Qualifications for Assistant Professor (Selection Grade, Level – 12, Entry Pay 79800/-)

For Promotion of Incumbents

- a. Qualifications as prescribed for the post of Assistant Professor (Senior Scale)

AND

- b. Should have completed minimum training requirements as per Annexure - III.

AND

- c. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.

Set No.	To have acquired in the cadre of Assistant Professor (Senior Scale)			
	Additional Qualification	Experience (Years)	Research publications in SCI journals /UGC / AICTE approved list of journals	Avg. 360° feedback score (out of 10)
1	-	4	1	8 to 10
2	-	4	2	5 to < 8

(c) Qualifications for Associate Professor (Level – 13A1, Entry Pay 131400/-)

i. For Direct Recruitment

- a. Ph.D. degree in the relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch

AND

- b. At least total 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals.

AND

- c. Minimum of 8 years of experience in teaching / research / industry out of which at least 2 years shall be Post Ph.D. experience.

Note:In case of HMCT, 8 years of industry experience at a managerial level not below the position of Head of Department handling a team of 20 persons or more in a 4 star hotel or above category or in a similar position in the hospitality industry / tourism industry.

ii For Promotion of Incumbents

- a. Ph. D. degree in relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

- b. Should have completed minimum training requirements as per Annexure – III.

AND

- c. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.

Set No.	To have acquired in the cadre of Assistant Professor (Selection Grade).		
	Experience (Years)	Research publications in SCI journals UGC AICTE approved list of journals	Avg. 360° feedback score (out of 10)
1	3	2	5 to < 8
2	3	1	8 to 10

(d) Qualifications for Professor (Level – 14, Entry Pay 144200/-)**(i) Direct Recruitment**

- a. Ph. D. degree in relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

- b. Minimum of 10 years of experience in teaching / research / industry out of which at least 3 years shall be at a post equivalent to that of an Associate Professor.

AND

- c. At least 6 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals and at least 2 successful Ph.D. guided as Supervisor / Co-supervisor till the date of eligibility of promotion.

OR

At least 10 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals till the date of eligibility of promotion.

(ii) For Promotion of the Incumbents

- a. Ph. D. degree in relevant field and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

- b. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.

Set No.	Ph.D. guided	Total Experience (Years)	To have acquired in the cadre of Associate Professor.		
			Experience (Years)	Research publications in SCI journals /UGC / AICTE approved list of journals	Avg. 360° feedback score (out of 10)
1	1	15	3	6	8 to 10
2	2	15	3	6	5 to < 8
3	-	16	3	4	8 to 10

Note: 360° Feedback

1. The feedback obtained every year, till the date of eligibility of next stage, shall be taken as an average of all the preceding years added together required for promotions.
2. In case the candidate fails to achieve the maximum feedback score, the subsequent year's may be taken into consideration while dropping the lowest feedback score in any one of the year.

(e) Qualifications for Promotion to Senior Professor (Level –15, Entry Pay 182200/-)

- a. Ph. D. degree in the relevant field

AND

- b. Minimum ten years of experience in the cadre of Professor

AND

- c. At least 8 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals, should have at least 2 successful Ph. D. guided as Supervisor / Co-Supervisor as a Professor.

OR

- c. At least 8 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals, should have provided academic leadership as institution head at least for 3 years at the level of Professor.

OR

- c. At least 8 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals, should have provided educational leadership at state / national level at least for 3 years at the level of Professor.

AND

- d. At least one patent awarded

OR

- d. Development of one MOOC course applicable at national platform

Notes:

1. The selection of Senior Professor shall also be based on academic achievements, favorable review of academic, research and administrative work from three eminent subject experts not below the post of Senior Professor or a Professor of at least ten years of experience.
2. The selection shall be based on ten best publications and award of Ph. D. degrees to at least two candidates under his / her supervision during the last 10 years and interaction with the Selection Committee constituted as per this regulation.

(f) Qualifications for Direct Recruitment of Principal / Director**(Level – 14, Entry Pay 144200/- with the special allowance of Rs. 6750/- per month)**

- a. Ph. D. degree and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch
- b. At least two successful Ph.D. guided as supervisor / Co-Supervisor and minimum 8 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals.
- c. Minimum 15 years of experience in teaching / research/ industry, out of which at least 3 years shall be at the post equivalent to that of Professor.

Notes:

1. This position shall be of contractual in nature for 5 years and can be extended for one more term depending upon the performance.

2. Performance assessment shall be carried out through a committee appointed by the affiliating university.
3. After completing the final term, the incumbent shall join back his / her parent organization in the previous designation from where he / she has proceeded with the designation as Professor / Senior Professor as the case may be.

6.0 Minimum Qualifications for Direct Recruitment and promotion of other staff

6.1 Workshop Superintendent

Initial recruitment of Workshop Superintendent shall be at par with Assistant Professor with the qualification as prescribed for the Assistant Professor in Mechanical/ Production Engineering.

Upward movement and designations shall be as per stage I to stage V of the present notification indicated in Table 3.

Table 3: Stages of Promotion and Designations for Workshop Superintendent

Stage	Designation
Entry Level, Stage-I	Workshop Superintendent
Stage-II	Workshop Superintendent (Senior Scale)
Stage-III	Workshop Superintendent (Selection Grade)
Stage-IV	Associate Professor (Workshop)
Stage-V	Professor (Workshop)

6.2 Qualifications for Training and Placement Officer

- a. Qualifications, service conditions and Pay scales of Training and Placement Officer shall be same as Professor in Engineering & Technology or concerned Technical Program.
- b. One of the Professors in the Institute shall be entrusted with additional responsibility of Training and Placement Officer on rotation basis.
- c. If Professor is not available, Associate Professor / Assistant Professor may be identified for this post.

6.3 Minimum Qualifications for direct recruitment of Assistant Librarian

(Level – 10, Entry Pay 57700/-)

- a. Master's Degree in Library Science/Information Science/ Documentation Science or an Equivalent Professional Degree with at least First Class or equivalent and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library.
- b. Qualifying in the National Level Test conducted for the purpose by UGC or other equivalent test as approved by the UGC.

6.4 Minimum Qualifications for direct recruitment of Assistant Director-Physical Education (Level – 10, Entry Pay 57700/-)

- a. Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science or equivalent degree with at least First Class or its equivalent with good academic record from a recognized University/ Institute.
- b. Record of having represented the University / College at the inter-University / Inter-collegiate competitions or the state and / or national championships;
- c. Qualifying in the National-Level Test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC and passed the physical fitness test conducted in accordance with these regulations.

- d. Record of strong involvement and proven track record of participation in sports, drama, music, films, painting, photography, journalism event management or other student / event management activities during college / University studies.
- e. Record of organizing such events as student's convener or in later part of life.

6.5 Methodology of Promotion for Assistant Librarians and Assistant Director-Physical Education

The qualifications for promotions for Assistant Librarians and Assistant Director-Physical Education shall be as per the UGC Notification No. F.1-2/2017(EC/PS) Dated 18th July, 2018.

7.0 Additional Requirements

7.1 Research Publications

In order to ensure quality of publications for promotions, a minimum standard would be ensured through the following.

- a) For the purpose of promotions, candidates must have published research papers in SCI journals OR UGC approved Journals OR AICTE approved list of journals OR jointly approved by AICTE with respective councils / institute such as Council of Architecture / Pharmacy Council of India / Institute of Town Planners, India.
- b) In case of HMCT, 1 live case study or 1 live industry project as research / consultancy having credential of very high standing would be recognized as equivalent to 1 publication.
- c) In case of Design, Architecture and Town Planning, 1 live case study, 1 live industry project as research / consultancy or 1 exceptional design having credential of very high standing / obtained high level recognition would be recognized as equivalent to 1 publication.

7.2 Equivalence for Ph.D.

Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization. Alternatively, the person should have obtained at least two patents or contributed to the increased productivity in the place of work recognized at state or national level or elected as a Fellow of any of the national academies. However, the procedure of providing equivalence shall be devised by concerned affiliating university.

7.2.1 Eligibility of direct Ph.D. after B.E./ B.Tech

The qualification of Ph.D acquired for the various level of posts directly after B.E/ B.Tech. is applicable in Technical Institutions, provided degree of Ph. D awarded is in relevant discipline by a recognised University following the process of registration, course work and evaluation etc. as prescribed by UGC or has been awarded by the Institutes of national importance (i.e. IITs/IISc/ NITs etc.), duly recognized by the MHRD. Further, candidate should have obtained at least first class at Bachelor's level in Engineering /Technology.

7.3 Class / Division

If a class / division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class / division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below.

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

7.4 Nomenclature of relevant degrees

The qualifications for various faculty posts specify that the degree shall be in the appropriate / relevant branch of specialization. Many IITs, NITs, Central Universities start interdisciplinary programs of new nomenclatures. In view of the increasing importance of interdisciplinary nature of engineering, the inter-disciplinary courses for both UG and PG specializations may be considered. The selection committee may take a final decision in this regard depending on the requirement of the program of study and institution. AICTE has already clarified this issue vide Government of India Gazette F. No. 27/RIFD/Pay/01/2017-18 dated 28.04.2017. If any specialization is not available in the AICTE basket, the Board / University shall decide the equivalence based on the curriculum of the program. Hence, incumbent faculty recruited in the past based on their qualifications / specializations acquired will continue to be eligible for promotion as well as direct recruitment in the same or other institutions, subject to fulfilment of other eligibility criteria and higher qualifications as prescribed, if any, for various teaching posts.

7.5 Incumbent faculty Members with previous qualifications

Existing incumbents recruited as a Faculty with the basic minimum qualifications such as M.Sc. (Mathematics), M.Sc. (Biotechnology), M.Sc. (Electronics), M.Sc. (Computer Science & allied subjects), M.Sc. (Physics), M.Sc. (Chemistry), MCA, PGDM, AMIE / M. Com and any other similar qualifications which were considered eligible at the time of recruitment or taken admission in such courses before publication of the AICTE Gazette dated 13th March 2010 are to be considered as eligible for promotion as well as direct recruitment in the same or other institutions, subject to fulfilment of other eligibility criteria and higher qualifications as prescribed, if any, for various teaching posts.

7.6 Faculty Members on deputation

Any Faculty Member on deputation to some Government Organization / Autonomous Bodies such as DTE / AICTE / UGC / MHRD / DST etc. on academic / administrative positions shall be deemed to have experience of academics and academic administration and be exempted from the requirement of FDP, Industrial Training and 360° feedback. If the faculty has secured at least **Very Good** rating, it shall be considered equivalent to 8 points on a 10 point scale of 360° feedback in reference to this notification for the period of deputation.

Disclaimer: Notification Language

The notification is published in English and Hindi languages. Utmost care is taken to translate notification from English to Hindi. However, in case of any kind of discrepancy in interpretation, English version shall prevail.

Prof. M. P. POONIA, Vice Chairman

[ADVT.-III/Exty./561/18]

Annexure-I**Pay Matrix Table for Degree Level Technical Institutions**

(All figures are in Rupees (₹))							
Pay Band in VI CPC		15600 – 39100			37400 - 67000		67000-79000
Cadre Title		Assistant Professor			Associate Professor	Professor	Senior Professor
Grade Pay in VI CPC		6000	7000	8000	9000	10000	0
Entry Pay		21600	25790	29900	49200	53000	67000
Cell No.	Level	10	11	12	13A1	14	15
1		57700	68900	79800	131400	144200	182200
2		59400	71000	82200	135300	148500	187700
3		61200	73100	84700	139400	153000	193300

4	63000	75300	87200	143600	157600	199100
5	64900	77600	89800	147900	162300	205100
6	66800	79900	92500	152300	167200	211300
7	68800	82300	95300	156900	172200	217600
8	70900	84800	98200	161600	177400	224100
9	73000	87300	101100	166400	182700	
10	75200	89900	104100	171400	188200	
11	77500	92600	107200	176500	193800	
12	79800	95400	110400	181800	199600	
13	82200	98300	113700	187300	205600	
14	84700	101200	117100	192900	211800	
15	87200	104200	120600	198700	218200	
16	89800	107300	124200	204700		
17	92500	110500	127900	210800		
18	95300	113800	131700	217100		
19	98200	117200	135700			
20	101100	120700	139800			
21	104100	124300	144000			
22	107200	128000	148300			
23	110400	131800	152700			
24	113700	135800	157300			
25	117100	139900	162000			
26	120600	144100	166900			
27	124200	148400	171900			
28	127900	152900	177100			
29	131700	157500	182400			
30	135700	162200	187900			
31	139800	167100	193500			
32	144000	172100	199300			
33	148300	177300	205300			
34	152700	182600	211500			
35	157300	188100				
36	162000	193700				
37	166900	199500				
38	171900	205500				
39	177100					
40	182400					

Note: The end-points of any column do not signify the end points of the pay received at that level. As was the case in the earlier provision of traditional pay scales, the last point does not represent the maximum pay of that level for calculation purposes. The end-points of the column should not be treated as the maximum and minimum of a pay scale to calculate the average pay for any level.

Annexure –II

Constitution of Screening cum Evaluation / Selection Committee

The AICTE has evolved following guidelines on:

- (a) Constitution of Selection Committees for selection of Assistant Professor, Associate Professor, Professor for direct recruitment and for promotions.
- (b) Specified selection procedures for direct recruitment and promotions for Teachers in Universities and Colleges.

Selection Proceedings:

All the selection procedures of the selection committee shall be completed immediately after the selection committee meeting itself, wherein, minutes are recorded along with the scoring Proforma and recommendation made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates / Panel of names in order of merit, duly signed by all members of the selection committee.

Selection Committee Composition for Assistant Professor, Associate Professor and Professor both for Direct Recruitment and Promotion:

I. For University Faculty Members:

- (a) The Selection Committee for the post of Assistant Professor in the University shall have the following composition:
 - (i) The Vice Chancellor or Acting Vice-Chancellor to be the Chairperson of the Selection Committee.
 - (ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Vice Chancellor or Acting Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university concerned.
 - (iii) Dean of the concerned Faculty, wherever applicable.
 - (iv) Head / Chairperson of the Department/School
 - (v) An academician nominated by the Visitor / Chancellor, wherever applicable.
 - (vi) An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor or Acting Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
- (b) To constitute the quorum for the meeting, five minimum members out of which at least two must be from the total three subject-experts.

II. For Faculty Members in Technical Institutions:

- (a) The Selection Committee for the post of Assistant Professor /Associate Professor and Professor in Colleges, including Private Colleges shall have the following composition:
 - (i) Chairperson of the Governing Body of the college or his/her nominee from among the members of the Governing body to be the Chairperson of the Selection Committee.
 - (ii) The Principal/ Director of the College.
 - (iii) Head of the Department of the concerned subject in the College.
 - (iv) Two nominees of the Vice-Chancellor or Acting Vice Chancellor of the affiliating university of whom one should be a subject-expert. In case of colleges notified / declared as a minority educational institution, two nominees of the Chairperson of the college from out of a panel of

five names, preferably from the minority communities, recommended by the Vice-Chancellor or Acting Vice-Chancellor of the affiliating university from the list of experts suggested by the relevant statutory body of the college, of whom one should be a subject-expert.

- v) Two subject-experts not connected with the college to be nominated by the Chairperson of the governing body of the College out of a panel of five names recommended by the Vice Chancellor or Acting Vice Chancellor from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the University concerned.
- (vii) An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor or Acting Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
- (b) To constitute the quorum for the meeting, five of which at least two must be from out of the three subject experts shall be present.
- (c) For all levels of teaching positions for Government / Government Aided Colleges / Government Autonomous Colleges, the State Public Services Commission / Teacher Recruitment Boards wherever applicable must invite three subject experts, for which the concerned University be involved in the selection process, by respective appointing authority. The states, where selection in autonomous institutes have been authorized to respective Board of Governors, shall continue but constitution of committee shall be same as directed by AICTE.

III. Senior Professor

- (a) The Selection Committee for the post of Senior Professor shall consist of the following persons:
 - (i) Vice Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee.
 - (ii) An academician not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience who is the nominee of the Visitor/Chancellor, wherever applicable.
 - (iii) Three experts not below the rank of a Senior Professor/Professor with a minimum of ten years' experience in the subject/field concerned nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university.
 - (iv) Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) of the faculty, wherever applicable.
 - (v) Head/Chairperson (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) or Senior-most Professor (not below the rank of Senior Professor/Professor, with a minimum of ten years' experience) of the Department/School, in case Head/ Chairperson does not fulfil the above requirement, if any.
 - (vi) An academician (not below the rank of a Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) representing SC/ST/OBC/ Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories as the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.
- (b) Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

IV. Technical Institution Principal / Director

- (a) The Selection Committee for the post of College Principal shall have the following composition:
 - i) Chairperson of the Governing Body as Chairperson.
 - ii) Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration.
 - iii) One nominee of the Vice-Chancellor who shall be an expert in Management of Higher Education.

- iv) Three experts consisting of the Principal/ Director of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the College) out of a panel of six experts approved by the relevant statutory body of the affiliating University concerned.
 - v) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor of the affiliating University.
- (b) To constitute the quorum for the meeting, five of which at least two must be from out of the three subject-experts shall be present.

Annexure-III

Training Requirements for Promotions of Teachers from all the Disciplines

For Assistant Professor (Senior Scale): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor.

Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area out of which at least one of the FDP shall be in advanced pedagogy recognised by AICTE / UGC / TEQIP / NITTTR / PMMMNMTT / IISc / IIT / University / Government / DTE / Board of Technical Education / CoA / IIA / SPA / ITPI / NRCs / ARPIT research organization / other institute of National Importance / Design Studio.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training / Professional Training.

For Assistant Professor (Selection Grade): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Senior Scale)

Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognised by AICTE / UGC / TEQIP / NITTTR / PMMMNMTT / IISc / IIT / University / Government / DTE / Board of Technical Education / CoA / IIA / SPA / ITPI / NRCs / ARPIT / research organization / other institute of National Importance / Design Studio.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training / Professional Training

For Associate Professor: Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Selection Grade)

Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognised by AICTE / UGC / TEQIP / NITTTR / PMMMNMTT / IISc / IIT / University / Government / DTE / Board of Technical Education / CoA / IIA / SPA / ITPI / NRCs / ARPIT / research organization / other institute of National Importance / Design Studio.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training / Professional Training.

Annexure - IV

CALCULATION OF 360⁰ FEEDBACK SCORE

The 360 Degree Score shall be determined on the basis of following parameters.

- a. Teaching Process (Maximum Point 25)
- b. Students' Feedback (Maximum Point 25)
- c. Departmental Activities (Maximum Point 20)
- d. Institute Activity (Maximum Point 10)
- e. ACR (Maximum Point 10)
- f. Contribution to Society (Maximum Point 10)

The candidate shall submit calculation sheet for each academic year to be considered and a summary sheet exhibiting his score on a 10 point scale

a. Teaching - Process (Maximum Points 25)

The calculation shall be presented in a table as presented in this Annexure. The table will have the details of courses taught in the academic year in consideration, like Semester, course Code / Name, No. of scheduled classes, actually held classes. The total shall be reduced on 25 point scale.

b. Students' Feedback (Maximum Points 25)

The candidate shall submit average score for each course taught during academic year under consideration on a scale of 25. The average of total of all such score shall be used.

c. Departmental Activities (Maximum Points 20)

This section summarizes all the responsibilities assigned by Head of the Department to a teacher during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Lab I/C, Time Table I/C, NBA - AICTE work, sponsored projects, departmental newsletter etc. The candidate will earn 3 points per semester for each activity up to a maximum of 20.

d. Institute Activity (Maximum Points 10)

This section summaries all the responsibilities assigned by Head of the institute to the candidate during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Head of Department, Coordinator, Warden, Training and Placement officer, Estate Officer etc. The candidate will earn 5 points per semester for each activity up to a maximum of 10.

e. ACR (Maximum points 10)

ACR maintained at institute level shall have 10 points based on grading.

f. Contribution to Society (Maximum Points 10)

The candidate involved in different initiatives by AICTE. The candidate will earn 5 points per semester for each activity. The claim should be supported by an office order/ official communication from Head of Institute.

The grand total of points for all academic years shall be converted to a 10 points scale.

Note: The activities mentioned in above criterion are indicative. Principal / Director / HoD may add or remove some of the activities at department and institute level as per the requirements of the institute. Weightage of 10 Marks may be given for ACRs maintained at institute level out of 20 Marks as per following grading.

Calculation of Credit Points

(Sample Calculations Page-1)

Name	
Present Position	
Academic Year	
Teaching Process	

A. Teaching Process (Max Point 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	No. of Scheduled Classes	No. of actually held classes	Points earned	Enclosure No.
1	1/ 2018-19	CET-100	42	39		
2	1/ 2018-19	CET-200	39	38		
3	2/ 2018-19	MED-100	41	39		
4	2/ 2018-19	BSE-100	42	41		
		Total	164	157	23.93	

B. Students' feedback (Max Point 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	Average Student feedback on the scale of 25	Enclosure No.
	1/ 2018-19	CET-100	22.3	
	1/ 2018-19	CET-200	21.8	
	2/ 2018-19	MED-100	19.6	
	2/ 2018-19	BSE-100	22.8	
		Total	86.5	

C. Departmental Activities (Max credit 20)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	1/ 2018-19	Lab I/C	3	3 Point/ semester	
2	1/ 2018-19	Consultancy	3	3 Point/ semester	
3	1/ 2018-19	Timetable I/C	3	3 Point/ semester	
4	2/ 2018-19	Timetable I/C	3	3 Point/ semester	
5	2/ 2018-19	NBA work	3	3 Point/ event	
6	2/ 2018-19	Lab I/C	3	3 Point/ event	
7	2/ 2018-19	Consultancy	3	3 Point/ semester	
		Total	21		

Calculation of Credit Points

(Sample Calculations Page-2)

D. Institute Activities (Max Credit 10)

S. No	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	1/ 2018-19	HoD /Dean	4	4 Point/semester	
2	2/ 2018-19	Coordinator appointed by Head of Institute	2	2 Point/semester	
3	2/ 2018-19	Organized Conference	2	2 Point/event	
4	2/ 2018-19	FDP/Conference	2	1 point /event, to be divided between all co-coordinators	

E. ACR maintained at institute level (Max Credit 10)

Extraordinary	Excellent	Very Good	Good	Satisfactory
10	9	8	7	5

S.No.	Year	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	2018-19	ACR	10	Extraordinary	
2		ACR	8	Very Good	
3		ACR	9	Excellent	
4		ACR	10	Extraordinary	
Average			37/4=9.25		

F. Contribution to Society (Max Credit 10)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1		Induction Program	5		
2		Unnat Bharat Abhiyan	5		
3		Yoga Classes	5		
4		Blood Donation	5		

Calculation of Credit Points

(Blank Format)

Name	
Present Position	
Academic Year	
Teaching- Process	

A. Teaching Process (Max Points 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	No. of Scheduled Classes	No. of actually held classes	Point	Enclosure no.
1						
2						

B. Students' feedback (Max Points 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	Average Student feedback on the scale of 25	Enclosure no.
1				
2				

C. Departmental Activities (Max Points 20)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

D. Institute Activities (Max Points 10)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

E. ACR maintained at institute level (Maximum Points 10)

S. No.	Year	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

F. Contribution to Society (Maximum Points 10)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

Summary

Summary	Academic Year	Academic Year	Academic Year
	1	2	3
A. Teaching Process (Max Points 25)			
B. Students' feedback (Max Points 25)			
C. Departmental Activities (Max Points 20)			
D. Institute Activities (Max Points 10)			

E. ACR (Max Points 10)			
F. Contribution to Society (Max Points 10)			
Total (Max Points 100)			
Total on 10 Point scale			

STUDENT'S FEEDBACK FORM*(To be used by institutions)*

Academic Year:		Name of the Faculty	
Course		Semester	
		Date of the feedback	

For getting filled in through student

S. No.	Description	Very Poor	Poor	Good	Very Good	Excellent
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Has the Teacher covered entire Syllabus as prescribed by University/ College/ Board?					
2	Has the Teacher covered relevant topics beyond syllabus					
3	Effectiveness of Teacher in terms of:					
	(a) Technical content/course content					
	(b) Communication skills					
	(c) Use of teaching aids					
4	Pace on which contents were covered					
5	Motivation and inspiration for students to learn					
6	Support for the development of Students' skill					
	(i) Practical demonstration					
	(ii) Hands on training					
7	Clarity of expectations of students					
8	Feedback provided on Students' progress					
9	Willingness to offer help and advice to students.					
	Total					

**Extracts of Relevant Sections of the UGC Gazette Notification No. F.1-2/2017(EC/PS) dated 18-07-2018
UGC Regulations on Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in
Universities and Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Higher Education, 2018.**

UGC Regulations for Appointment of College Principal / Director (18-07-2018)

College Principal and Professor (Professor's Grade)

A. Eligibility:

[V(A) – p.61]

- (i) Ph.D. degree
- (ii) Professor/Associate Professor with a total service/ experience of at least fifteen years of teaching/research in Universities, Colleges and other institutions of higher education.
- (iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.
- (iv) A minimum of 110 Research Score as per Appendix II, Table 2

B. Tenure

[V(B) – p.61]

- i) A College Principal shall be appointed for a period of five years, extendable for another term of five years on the basis of performance assessment by a Committee appointed by the University, constituted as per these regulations.
- ii) After the completion of his/her term as Principal, the incumbent shall join back his/her parent organization with the designation as Professor and in the grade of the Professor.

VIII. College Principal and Professor

A. Selection Committee

[5. VIII(A) – p.73]

(a) The Selection Committee for the post of College Principal and Professor shall have the following composition:

- i) Chairperson of the Governing Body to be the Chairperson.
- ii) Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration.
- iii) Two nominees of the Vice-Chancellor who shall be Higher Education experts in the subject/field concerned out of which at least one shall be a person not connected in any manner with the affiliating University. In case of Colleges notified/declared as minority educational institutions, one nominee of the Chairperson of the College from out of a panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the Vice-Chancellor of the affiliating university of whom one should be a subject expert.
- iv) Three Higher Education experts consisting of the Principal of a College, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the college out of a panel of six experts approved by the relevant statutory body of the university concerned).
- v) An academican representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
- vi) Two subject-experts not connected with the college to be nominated by the Chairperson of the governing body of the college out of a panel of five names recommended by the Vice Chancellor from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the university concerned. In case of colleges notified/declared as minority educational institutions, two subject experts not connected with the University nominated by the Chairperson of the College governing body out of the panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the Vice Chancellor from the list of subject experts approved by the relevant statutory body.

(b) Five members, including two experts, shall constitute the quorum.

(c) All the selection procedures of the selection committee shall be completed on the day/last day of the selection committee meeting itself, wherein, minutes are recorded along with the scoring Proforma and recommendation made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates/Panel of names in order of merit, duly signed by all members of the selection committee.

(d) The term of appointment of the College Principal shall be five years, with eligibility for reappointment for one more term only after an assessment by a Committee appointed by the University as per the composition given in sub-clause (B) of 5.1 (VIII).

(e) After the completion of his/her term as Principal, the incumbent shall join back his/her parent organisation with the designation as Professor and in the grade of the Professor..

College Principal should;

(a) Provide inspirational and motivational value-based academic and executive leadership to the college through policy formation, operational management, optimization of human resources and concern for environment and sustainability;

(b) Conduct himself/herself with transparency, fairness, honesty, highest degree of ethics and decision making that is in the best interest of the college;

(c) Act as steward of the College's assets in managing the resources responsibly, optimally, effectively and efficiently for providing a conducive working and learning environment;

(d) Promote the collaborative, shared and consultative work culture in the college, paving way for innovative thinking and ideas;

(e) Endeavour to promote a work culture and ethics that brings about quality, professionalism, satisfaction and service to the nation and society.

(f) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;

(g) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;

(h) Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethical behaviour in teaching and research;

(i) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service.

(j) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

See page 105 of the UGC Notification.

Maharashtra Government (H&TE Dept) Notification under Maha. Public Universities Act 2016

(14-01-2019)

(3) Autonomous Colleges shall have full academic and administrative autonomy and have privilege of appointing their own administrative staff and teachers including Principal or Director. However, the staff shall be appointed as per the UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2010 or as amended from time to time:

Provided that, the college shall obtain the sanction or approval to the appointments of administrative staff and teachers from the State Government and Parent University, as the case may be.

UGC Notification:

6.0 SELECTION PROCEDURE:

[page 75,76]

I. The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on the weightage given to the performance of the candidate in different relevant parameters and his/her performance on a grading system proforma, based on Appendix II, Tables 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5.

In order to make the system more credible, universities may assess the ability for teaching and / or research aptitude through a seminar or lecture in a classroom situation or discussion on the capacity to use the latest technology in teaching and research at the interview stage. These procedures can be followed for both the direct recruitment and the CAS promotions, wherever selection committees are prescribed in these Regulations.

II. The universities shall adopt these Regulations for selection committees and selection procedure through their respective statutory bodies incorporating Appendix II, Table 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5 at the institutional level for University Departments and their Constituent colleges/ affiliated colleges (Government/Government-aided/ Autonomous/ Private Colleges) to be followed transparently in all the selection processes. The universities may devise their own self-assessment-cum-performance appraisal forms for teachers in strict adherence to the Appendix II, Table 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5 specified in these Regulations.

III. In all the Selection Committees of direct recruitment of teachers and other academic staff in universities and colleges provided herein, an academician belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC/Minority/ Women/Differently-abled categories, if any of candidates belonging to these categories is the applicant and if any of the members of the selection committee does not belong to that category, shall be nominated by the Vice-Chancellor of the University, and in case of a College, Vice-Chancellor of the University to which the college is affiliated to. The academician, so nominated for this purpose, shall be one level above the cadre level of the applicant, and such nominee shall ensure that the norms of the Central Government or concerned State Government, in relation to the categories mentioned above, are strictly followed during the selection process.

76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

IV. The process of selection of a Professor shall involve the inviting of the application developed by the respective university, based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in these Regulations in Appendix II, Table 1 and 2 and reprints of all significant publications of the candidates.

Provided that the publications submitted by the candidate shall have been published during the qualifying period.

Provided further that such publications shall be made available to the subject experts for assessment before holding the interview. The evaluation of the publications by the experts shall be taken into consideration while finalizing the outcome of selection.